न्यायालयः—प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश नर्मदापुरम के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सिवनीमालवा, जिला—नर्मदापुरम (म.प्र.)
(समक्षः—श्रीमती तबस्सुम खान)

C.I.S. Reg. No.	ST/35/2022
Filling No.	ST/2641/2022
C.N.R. No.	MP0507-002034-2022
Date Of Filling	13-12-2022
Date Of Reg.	13-12-2022

प्र0सू0रि0/अपराध और पुलिस थाने का विवरण	
पुलिस थाना सिवनीमालवा के अपराध क्रमांक 460/2022, अंतर्गत धारा 147, 148, 341, 307, 302 भा.दं.सं., 1860	
परिवादी/अभियोजन	मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र सिवनीमालवा, जिला—नर्मदापुरम (म0प्र0)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री राकेश यादव, अपर लोक अभियोजक।
// विरूद्ध //	
अभियुक्तगण	1. राजू उर्फ राजेन्द्र कौशल पिता श्री राधेश्याम कौशल, आयु 39 वर्ष, व्यवसाय—मजदूरी, निवासी—लोधी मोहल्ला, वार्ड नंबर 06 सिवनीमालवा, थाना—सिवनीमालवा, जिला—नर्मदापुरम (म0प्र0) 2. आकाश उर्फ पिंटोली बाथव पिता श्री ओमप्रकाश बाथव, आयु 31 वर्ष, व्यवसाय—मजदूरी, निवासी—वार्ड नंबर 13 कोलीपुरा सिवनीमालवा, थाना—सिवनीमालवा, जिला—नर्मदापुरम (म0प्र0) 3. गौरव यादव पिता श्री बसंत यादव, आयु 24 वर्ष, व्यवसाय—मजदूरी, निवासी—वार्ड नंबर 06 सिवनीमालवा, थाना—सिवनीमालवा, जिला—नर्मदापुरम (म0प्र0) 4. आकाश सराठे पिता श्री संतोष सराठे, आयु 33 वर्ष, व्यवसाय—मजदूरी, निवासी—राही चौक वार्ड नंबर

	11 सिवनीमालवा, थाना–सिवनीमालवा, जिला–नर्मदापुरम (म0प्र0) 5. चेतन मराठा पिता श्री संजय मराठा, आयु 23 वर्ष, व्यवसाय–मजदूरी, निवासी–देवल मोहल्ला सिवनीमालवा, थाना–सिवनीमालवा, जिला–नर्मदापुरम (म0प्र0) 6. देवेन्द्र उर्फ छोटू कोरी पिता श्री वीरेन्द्र कोरी, आयु 22 वर्ष, व्यवसाय–मजदूरी, 7. संदीप उर्फ राजा कौशल पिता श्री संतोष कौशल, आयु 26 वर्ष, व्यवसाय–मजदूरी, दोनों निवासी–गोटियापुरा सिवनीमालवा, थाना–सिवनीमालवा, जिला–नर्मदापुरम (म0प्र0)
प्रतिनिधित्व द्वारा	अभियुक्त चेतन मराठा द्वारा श्री विनोदचन्द्र शर्मा अधिवक्ता। अभियुक्तगण देवेन्द्र उर्फ छोटू, संदीप उर्फ राजा कौशल द्वारा श्री अजीतसिंह राजपूत अधिवक्ता। अभियुक्तगण गौरव यादव, राजू उर्फ राजेन्द्र कौशल द्वारा श्री मनीष तिवारी अधिवक्ता। अभियुक्तगण आकाश उर्फ पिन्टोली बाथव, आकाश सराठे द्वारा श्री विनोद भार्गव अधिवक्ता।
अपराध की तारीख	03/08/2022
प्र0सू0रि0 की तारीख	03/08/2022
आरोप–पत्र की तारीख	31/10/2022
आरोपों के विरचना की तारीख	25/01/2023
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	13/02/2023
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	09/06/2026
निर्णय की तारीख	12/06/2026

दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	12/06/2026
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनीमालवा, जिला–नर्मदापुरम (म0प्र0) के न्यायालय के आर0सी0टी0 प्रकरण क्रमांक 423/2022, फाइलिंग नंबर 2255/2022, सी0एन0आर0 नंबर एम0पी0 05070016152022, फाइलिंग दिनॉक 31/10/2022 में पारित उपार्पण आदेश दिनॉक 31/10/2022 से उद्भूत सत्र प्रकरण।	

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है।	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा 468 बी.एन.एस.एस के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
A-4	राजू उर्फ रा. जेन्द्र कौशल	03/08/2022	22/11/2022	341, 148, 307/149 (दो शीर्ष), 302/149 भा.दं.सं.।	दोषसिद्धि	निर्णय की कण्डिका 100 के अनुसार।	दिनांक 03/08/2022 से दिनांक 22/11/2022 तक।
A-3	आकाश उर्फ पिन्टोली	03/08/2022	18/11/2022	341, 148, 307/149 (दो शीर्ष), 302/149 भा.दं.सं.।	दोषसिद्धि	निर्णय की कण्डिका 100 के अनुसार।	दिनांक 03/08/2022 से दिनांक 18/11/2022 तक।
A-2	गौरव यादव	03/08/2022	16/11/2022	341, 148, 307/149 (दो शीर्ष), 302/149 भा.दं.सं.।	दोषसिद्धि	निर्णय की कण्डिका 100 के अनुसार।	दिनांक 03/08/2022 से दिनांक 16/11/2022 तक।
A-1	आकाश सराठे	03/08/2022	29/09/2023	341, 148, 307/149 (दो शीर्ष), 302/149 भा.दं.सं.।	दोषसिद्धि	निर्णय की कण्डिका 100 के अनुसार।	दिनांक 03/08/2022 से दिनांक 29/09/2023 तक।
A-5	चेतन मराठा	03/08/2022	29/09/2023	341, 148, 307/149 (दो शीर्ष), 302/149	दोषसिद्धि	निर्णय की कण्डिका 100 के अनुसार।	दिनांक 03/08/2022 से दिनांक

				भा.दं.सं.।			29/09/2023 तक।
A-6	देवेन्द्र उर्फ छोटू कोरी	03/08/2022	29/09/2023	341, 148, 307/149 (दो शीर्ष), 302/149 भा.दं.सं.।	दोषसिद्धि	निर्णय की कण्डिका 100 के अनुसार।	दिनांक 03/08/2022 से दिनांक 29/09/2023 तक।
A-7	संदीप उर्फ राजा कौशल	03/08/2022	18/11/2022	341, 148, 307/149 (दो शीर्ष), 302/149 भा.दं.सं.।	दोषसिद्धि	निर्णय की कण्डिका 100 के अनुसार।	दिनांक 03/08/2022 से दिनांक 18/11/2022 तक।

// निर्णय //

(आज दिनांक **12/06/2026** को घोषित)

1. अभियुक्तगण पर भा0दं0सं0 की धारा 341, 148, 307/149(दो शीर्ष), 302/149 के अंतर्गत आरोप है कि उन्होंने घटना दिनांक 03/08/2022 को समय रात्रि 12:30 बजे अथवा उसके लगभग स्थान नंदरवाड़ा रोड़ ग्राम बराखड़ थाना क्षेत्रान्तर्गत सिवनीमालवा में फरियादी शेखलाला, जो कि अपने साथी नजीर अहमद, शेख मुश्ताक के साथ ट्रक क्रमांक एम.एच–40–सी.डी–8751 से जा रहा था, का रास्ता रोककर उन्हें, सदोष अवरोध कारित किया, अभियुक्तगण ने घातक आयुध लाठी, डंडे से सुसज्जित होकर, जिन्हें आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किये जाने पर मृत्यु कारित होना संभाव्य थी, से विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर बल व हिंसा का प्रयोग कर बल्वा कारित किया, अभियुक्तगण ने विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में आहत शेखलाला, सैय्यद उर्फ शेख मुश्ताक पर इस आशय/ज्ञान से एवं ऐसी परिस्थितियों में लाठी व डण्डे से मारपीट की कि यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो हत्या के दोषी होते, अभियुक्तगण ने विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर उसके सदस्य रहते हुए सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में नजीर अहमद की मृत्यु कारित करने के आशय से या उसे ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, जिससे जानते थे कि उसकी मृत्यु कारित करना संभाव्य है या उसको ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया, जो शारीरिक क्षति प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त थी, उसको लाठी, डण्डे से मारपीट कर उसकी मृत्यु कारित कर हत्या की।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्रसिंह यादव ने शासकीय अस्पताल सिवनीमालवा में अपराध क्रमांक

0/2022 धारा 147, 148, 307, 302 भा.द.सं. के अंतर्गत फरियादी शेख लाला पिता शेख अस्सू अजमेरी के बताये अनुसार देहाती सूचना लेख की कि वह ट्रक क्रमांक एम.पी.40–सी.डी–8751 पर ड्राईवरी का काम करता है। दिनांक 02/08/2022 को नंदरवाड़ा के सेट्टी नामक व्यक्ति द्वारा उसके मोबाईल नंबर 9975392944 पर काल करके उसे नंदरवाड़ा माल भरने बुलाया था, सेट्टी का मोबाईल नंबर उसके मोबाईल में है। वह अपने ट्रक को लेकर अपने साथियों नजीर अहमद एवं शेख मुश्ताक के साथ दिनांक 02/08/2022 की शाम 05–06 बजे नंदरवाड़ा पहुॅच गया था, वहॉ सेट्टी ने नंदरवाड़ा नहर के किनारे खेत के पास से उसके ट्रक में जानवर, जिसमें गाय डोर थे, भरवा दिये थे, जिन्हें लेकर वह महाराष्ट्र अमरावती ले जाने के निकला, तब तक घटना दिनांक 03/08/2022 हो गई थी। उसका ट्रक दिनांक 03/08/2022 के समय 00:30 बजे करीब पर बराखड़ ग्राम के पास नंदरवाड़ा रोड़ पर पहुॅचा, तब वहॉ खड़े 10–12 गॉव वालों ने उनका ट्रक रोक लिया और उन तीनों के साथ लाठी, डण्डो से मारपीट करने लगे, तब उन लोगों को चोटे आई, तब तक पुलिस वहॉ आ गई। पुलिस उन्हें लेकर अस्पताल आई थी, उनका ईलाज चल रहा था। मारपीट में आई चोटों के कारण उनके साथी नजीर अहमद की मृत्यु हो गई थी। वह बराखड़ गॉव के लोगों के विरूद्ध रिपोर्ट कर रहा है। वह आरोपीगण के सामने आने पर उन्हें पहचान लेगा। थाना वापसी पर मृतक नजीर अहमद के संबंध में थाने पर अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीकरण दर्ज किया गया। उक्त देहाती सूचना के आधार पर ग्राम बराखड़ के 10–12 अज्ञात आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 460/2022 अपराध धारा 147, 148, 341, 307, 302 भा.दं.सं. पंजीबद्ध किया गया।

3. अभियोजन का ऐसा भी मामला है कि विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका तैयार किया गया। घटनास्थल से खून आलूदा घास, सादी घास, खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी, चप्पले, एक लकड़ी के टुकड़े जप्तकर जप्तीपत्रक तैयार किया गया। घटनास्थल एवं मृतक के फोटोग्राफ्स लिये गये। मृतक नजीर अहमद के संबंध में शव परीक्षण आवेदन पत्र तैयार कर पोस्टमार्टम कराया गया। घटना के चश्मदीद साक्षी यज्ञेश कुमार तिवारी के धारा 164 द.प्र.सं. के न्यायालयीन कथन लेखबद्ध करवाये गये, जिसके कथनों में आरोपीगण आकाश सराठे, गौरव यादव, आकाश उर्फ पिन्टोली, राजू उर्फ राजेन्द्र कौशल, चेतन मराठा, देवेन्द्र कोरी, संदीप उर्फ राजा, दीपक उर्फ बाबा केवट, भोला बाथव, पवन बाथव, कन्हैया बाथव, प्रकाश कौशल, अज्जू राठौर, बल्लू रघुवंशी के द्वारा घटना घटित करना बताया गया। आहतगण सैय्यद मुश्ताक एवं शेख लाला के मरणासन्न कथन लेखबद्ध किये गये।

साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लेकर उनके मेमोरेण्डम कथन अभिलिखित किये गये। अभियुक्तगण के मेमोरेण्डम कथनों के आधार पर उनसे घटना में प्रयुक्त–लाठी, डण्डे, कपड़े जप्त किये गये। अभियुक्तगण को गिरफ्तारी कर गिरफ्तारीपत्रक तैयार किये गये। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को दी गई। विवेचना के दौरान तहसीलदार ललित सोनी द्वारा आहतगण की निशादेही पर अभियुक्तगण के संबंध में शिनाख्तगी मेमो तैयार किये गये। विवेचना के दौरान तहसीलदार सिवनीमालवा को नजरीनक्शा बनवाये जाने हेतु पत्र प्रेषित् किया गया, जिसके पालन में घटनास्थल का पटवारी नजरीनक्शा प्राप्त किया गया। आहतगण से संबंधित मेडिकल दस्तावेज प्राप्त किये गये। घटनास्थल से जप्त सम्पत्ति, अभियुक्तगण से जप्त सम्पत्ति एवं मृतक से जप्त सम्पत्ति को एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु पुलिस अधीक्षक नर्मदापुरम के माध्यम से संयुक्त निर्देशक क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया। प्रकरण के अन्य सहअभियुक्तगण संदीप उर्फ राजा, दीपक उर्फ बाबा केवट, भोला बाथव, पवन बाथव, कन्हैया बाथव, प्रकाश कौशल, अज्जू राठौर, बल्लू रघुवंशी की फरारी में आवश्यक अनुसंधान उपरांत मामला साबित पाये जाने से अभियोग पत्र संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी सिवनीमालवा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहॉ से प्रकरण, सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से उपार्पण बाद विधिवत् विचारण हेतु माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के कार्य वितरण आदेश अनुसार इस न्यायालय को अंतरित किया गया।

4. अभियुक्तगण को निर्णय की कंडिका 01 में वर्णित अपराध के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार करते हुए विचारण चाहा। अभियुक्तगण का अभिवाक् लेखबद्ध करने के उपरांत विचारण प्रारंभ किया गया और विचारण दौरान अभिलेख पर आई अभियोजन साक्ष्य के स्पष्टीकरण हेतु धारा 351 बी.एन.एस.एस., 2023 के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया, जिसमें अभियुक्तगण का कहना है कि वे निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा अपनी प्रतिरक्षा में कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

5. <u>मामले के समुचित निराकरण हेतु इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न हैं कि:–</u>

1 क्या घटना दिनांक 03/08/2022 को रात्रि लगभग 12:30 बजे नंदरवाड़ा रोड़ ग्राम बराखड़ अंतर्गत थाना सिवनीमालवा में नजीर अहमद की मृत्यु हुई ?

2 क्या मृतक नजीर अहमद की मृत्यु मानववध प्रकृति की थी ?

3 क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी शेख लाला, नजीर अहमद, शेख मुश्ताक, जो कि ट्रक क्रमांक एम.एच.40–सी.डी.–8751 से जा रहे थे, उनका रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया ?

4 क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर घातक आयुध लाठी–डण्डे, जिन्हें आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किये जाने पर मृत्यु कारित होना संभाव्य थी, से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया ?

5 क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक व समय स्थान पर विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में आहत शेख लाला एवं सैय्यद उर्फ शेख मुश्ताक पर इस आशय अथवा ज्ञान से अथवा ऐसी परिस्थितियों में लाठी व डण्डों से मारपीट की कि यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या के दोषी होते ?

6 क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य रहते हुये उसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में नजीर अहमद की मृत्यु कारित करने के आशय से अथवा यह जानते हुये कि ऐसी शारीरिक क्षति मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त थी, उसे लाठी–डण्डे से मारपीट कर उसकी हत्या कारित की ?

7 दोषसिद्धि एवं दंडादेश यदि कोई हो तो ?

//सकारण निष्कर्ष//

–:विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 व 02 के संबंध में:–

6. उपरोक्त दोनों विचारणीय प्रश्न परस्पर संबंधित होने से साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

7. शेख लाला अ0सा0–01, सैय्यद मुश्ताक अ0सा0–02 ने सारतः कथन किये हैं कि घटना उनके न्यायालयीन कथन दिनांक 22/08/2023 से लगभग 01 साल पुरानी रात्रि लगभग 12:00 बजे की है। वे दोनों तथा नजीर ट्रक में बैठकर जा रहे थे। उन्होंने यह भी व्यक्त किया है कि गॉव वालों ने उनके साथ मारपीट कर चोट पहॅुचाई थी। मौके पर पुलिस आई थी, जो उन्हें अस्पताल लेकर गई थी, जहॉ उनका मेडिकल परीक्षण किया गया था। वे

बेहोश हो गये थे, उन्हें होश आने पर पता चला कि नजीर की मृत्यु हो गई है।

8. डॉक्टर शेखर रघुवंशी अ0सा0–18 ने अपने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि वे दिनांक 03/08/2022 को सी.एच.सी. सिवनीमालवा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को लड़ाई–झगड़े में घायल होने पर ईलाज हेतु नजीर अहमद, सैयद मुश्ताक, शेख लाला, निवासी–यास्मीन नगर अमरावती को लाया गया था, जिसकी सूचना प्र0पी0–60 उनके द्वारा थाना प्रभारी सिवनीमालवा को लिखित में दी गई थी, जिस पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। उक्त कथनों की पुष्टि निरीक्षक जितेन्द्रसिंह यादव अ0सा0–19 द्वारा की गई है, जिन्होंने व्यक्त किया है कि शासकीय अस्पताल सिवनीमालवा से सूचना प्र0पी0–60 प्राप्त हुई थी कि लड़ाई–झगड़े में घायल होने पर ईलाज के लिये नजीर अहमद, सैय्यद मुश्ताक एवं शेख लाला को लाया गया है।

9. डॉक्टर शेखर रघुवंशी अ0सा0–18 ने कथन किये हैं कि उक्त दिनांक को उनके द्वारा शेख लाला, सैय्यद मुश्ताक, नजीर अहमद की एम.एल.सी. प्र0पी0–61 लगायत 63 की गई थी, जिन पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। आहत शेख लाला पिता शेख हुसैन की एम.एल.सी. करने पर निम्नलिखित चोटे पाई गई थीः–

<u>चोट क्रमांक 1–</u> एक एब्ररेजन बांए गाल पर था, जिसका आकार 4.5 गुणा 2.5 सेन्टीमीटर था।

<u>चोट क्रमांक 2–</u> गले के सीधे भाग पर कन्टूजन सूजन, जिसका आकार 7.5 गुणा 2.5 सेन्टीमीटर था।

<u>चोट क्रमांक 3–</u> छाती पर कन्टूजन सूजन थी। उन्होंने शेख लाला के छाती व सिर के एक्सरे, सिर की सी.टी. स्कैन की सलाह देना एवं आहत का प्राथमिक उपचार कर जिला चिकित्सालय रैफर करना बताया है।

10. डॉक्टर शेखर रघुवंशी अ0सा0–18 ने कथन किये हैं कि आहत सैय्यद मुश्ताक पिता सैय्यद रउफ की एम.एल.सी. करने पर निम्नलिखित चोटे पाई थीः–

<u>चोट क्रमांक 1–</u> एक फटा हुआ घाव उल्टी हथेली पर मौजूद था, जिसका आकार 3.5 गुणा 2.5 सेन्टीमीटर था, जिससे खून बह रहा था।

<u>चोट क्रमांक 2–</u> एक फटा हुआ घाव सिर के उल्टे भाग पर मौजूद था, जिसका आकार 3.5 गुणा 1.5 सेन्टीमीटर का था।

चोट क्रमांक 3— एक कन्टूजन सूजन उल्टे हाथ पर जिसका आकार 7.5 गुणा 3.5 सेन्टीमीटर था।

चोट क्रमांक 4— एक कन्टूजन सूजन बांए भुजा जिसका आकार 4.5 गुणा 2.5 सेन्टीमीटर था। आहत सैय्यद मुश्ताक के कपडे खून व मिट्टी से सने हुये थे। उक्त आहत को प्राथमिक उपचार पश्चात् सिर के सी.टी. स्केन की सलाह दी थी।

11. डॉक्टर शेखर रघुवंशी अ0सा0—18 ने यह भी व्यक्त किया है कि अस्पताल में भर्ती के समय आहत नजीर अहमद पिता मोहम्मद शाकू की हालत बहुत नाजूक थी तथा बेहोशी की अवस्था में लाया गया था, उसकी हालत बुरी थी। मरीज का ऑक्सीजन लेवल एवं बी.पी. नही आ रहा था। मरीज की पल्स 32 प्रतिमिनिट के हिसाब से चल रही थी, दोनों आंखों पर काफी सूजन होने के कारण खुल नही रही थी। उसकी एम.एल.सी. करने पर पाया गया किः—

चोट क्रमांक 1— दोनों आंखे सूजी हुयी थी, दोनों गालों पर कन्टूजन सूजन थी।

चोट क्रमांक 2—सिर के फ्रन्टल, ऑक्सीपिटल तथा पैराईटल भाग पर कन्टूजन सूजन मौजूद थी।

चोट क्रमांक 3— एक फटा हुआ घाव सिर के ऑक्सीपिटल भाग, जिसका आकार 7.5 गुणा 3.5 सेन्टीमीटर का था, जिससे खून बह रहा था।

चोट क्रमांक 4— एक फटा हुआ घाव सिर के पैराईटल भाग पर, जिसका आकार 6.5 गुणा 2.5 सेन्टीमीटर था।

चोट क्रमांक 5— एक एब्रेजन सीधे हाथ की हथेले के पिछले भाग पर जिसका आकार 2.5 गुणा 2 सेन्टीमीटर था।

चोट क्रमांक 6— एक एब्रेजन दाएं कान के पीछे था।

12. शेख लाला अ0सा0—01 ने कथन किया है कि पुलिस ने देहाती नाल्सी प्र0पी0—01 तैयार की थी, जिस पर उसने अपना अंगूठा लगाया था। निरीक्षक जितेन्द्रसिंह यादव अ0सा0—19 ने भी कथन किये हैं कि सूचना प्र0पी0—60 प्राप्त होने पर वे सी.एच.सी. सिवनीमालवा पहुॅचे, जहॉ फरियादी शेख लाला की देहाती सूचना 0/2022 प्र0पी0—01 लेख की थी। उक्त देहाती सूचना प्र0पी0—01 में भी लाठी—डण्डों से मारपीट के कारण आहतगण शेख लाला, सैय्यद मुश्ताक को चोटे आना एवं उनके साथी नजीर अहमद की मृत्यु होना लेख है। फरियादी शेख लाला अ0सा0—01 एवं सैय्यद मुश्ताक अ0सा0—02 ने अपने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किये हैं कि उन्हें मारपीट के कारण चोटे आई थी।

13. डॉक्टर शेखर रघुवंशी अ0सा0–18 ने यह भी व्यक्त किया है उक्त दिनांक को ही ईलाज के दौरान घायल नजीर अहमद की मृत्यु हो जाने के कारण उन्होंने थाना प्रभारी सिवनीमालवा को लिखित सूचना प्र0पी0–64 दी थी, जिस पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। निरीक्षक जितेन्द्रसिंह यादव अ0सा0–19 ने भी सी.एच.सी. सिवनीमालवा से नजीर अहमद की मृत्यु होने की लिखित सूचना प्र0पी0–64 प्राप्त होना बताया है तथा उक्त सूचना के आधार पर देहाती मर्ग कमांक 0/2022 प्र0पी0–02 लेख करना व्यक्त किया है। फरियादी शेख लाला अ0सा0–01 ने भी व्यक्त किया है कि पुलिस ने देहाती मर्ग सूचना प्र0पी0–02 तैयार की थी, जिस पर उसने अपना अंगूठा लगाया था।

14. निरीक्षक जितेन्द्रसिंह यादव अ0सा0–19 ने कथन किये हैं कि उक्त दिनांक को ही थाना वापस आकर असल मर्ग कमांक 55/2022 अंतर्गत धारा–174 द.प्र.सं. प्र0पी0–69 कायमी की गई थी, जिस पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। फरियादी शेख लाला की देहाती नाल्सी के आधार पर 10–12 अज्ञात अभियुक्तगण के विरूद्ध अंतर्गत धारा–147, 148, 341, 307, 302 भा.दं.सं. का अपराध कमांक 460/2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी–70 दर्ज की थी, जिस पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 20 में स्वीकार किया है कि अस्पताल से प्राप्त सूचना में घटना कारित करने वालों के नाम या पहचान उल्लेखित नहीं थे।

15. आरक्षक बंटी चौहान अ0सा0–17 ने अपने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि वह दिनांक 03/08/2022 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय नर्मदापुरम में आरक्षक के पद पर कार्यरत था। उक्त दिनांक को एफ.एस.एल. अधिकारी के साथ घटनास्थल बराखड़कलॉ गया था, जहॉ पर उसने घटनास्थल की फोटो अपने शासकीय केमरे निकॉन डी–5300 से निकाली थी। उसने उक्त फोटो का प्रिन्टआउट निकालकर सिवनीमालवा थाने भेजा था। उसने उक्त फोटोग्राफ्स के संबंध में धारा 65–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्र0पी0–59 दिया था, जिस पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। उसके द्वारा खीचे गये एवं प्रिन्ट किये गये फोटोग्राफ्स एम0ओ0–01 लगायत एम0ओ0–29 अभिलेख में संलग्न है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में व्यक्त किया है कि वह एफ.एस.एल. अधिकारी के आदेश पर गया था, उसके पास कोई लिखित आदेश नहीं आया था तथा इस सुझाव से इंकार किया है कि वह बिना किसी सक्षम आदेश के मौके पर पहुॅच गया था। उक्त फोटोगाफ्स एम0ओ0–01 लगायत एम0ओ0–29 से दर्शित होता है कि उक्त छायाचित्र प्रश्नगत ट्रक एवं घटनास्थल पर मिली

वस्तुओं, घटनास्थल के फोटोग्राफ्स हैं।

16. उपनिरीक्षक नंदलाल झरवड़े अ0सा0–20 ने कथन किये हैं कि वे दिनांक 03/08/2022 को थाना सिवनीमालवा में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को ही उनके द्वारा मृत्यु जांच में उपस्थित होने हेतु पंचानों को तलब करने हेतु सफीना फॉर्म भरा था, जो प्र0पी0–83, लाश का नक्शा पंचायतनामा प्र0पी0–84 है, जिनपर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। मृतक नजीर अहमद की दोनों आंखे, मुंह एवं चेहरा सूजा हुआ था, सिर में तीन जगह चोटे थी, जिसमें से खून निकल रहा था। मृतक के दाएं हाथ की कलाई में कट का निशान था, मृतक का शरीर खून से सना हुआ था। मृतक के बाएं नितंब पर कट का निशान था। पंचानों की राय में मृतक की मृत्यु उसे सिर में आई हुई चोटों के कारण हुई थी, मृत्यु का सही कारण जानने के लिये पोस्टमार्टम कराना आवश्यक था।

17. उपनिरीक्षक नंदलाल झरवड़े अ0सा0–20 ने यह भी व्यक्त किया है कि उसके द्वारा दिनांक 03/08/2022 को मर्ग क्रमांक 55/2022 धारा 174 द.प्र.सं. में मृतक नजीर अहमद आत्मज मोहम्मद शकूर उम्र 50 वर्ष निवासी यास्मीन नगर पीएस नागपुरी गेट अमरावती के शव के परीक्षण के लिये सीएचसी सिवनीमालवा में आवेदन फॉर्म प्र0पी0–65 भरा था, जिस पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। उक्त दिनांक को ही मृतक नजीर अहमद की अस्पताल सीएचसी सिवनीमालवा में फोटोग्राफ्स एम0ओ0–50 एवं एम0ओ0–51 लिये थे। उक्त फोटोग्राफ्स एम0ओ0–50 एवं 51 के अवलोकन से मृतक चोटग्रस्त अवस्था में होना दर्शित है। उक्त साक्षी के कथन प्रतिपरीक्षण के दौरान भी अखण्डित है।

18. डॉक्टर शेखर रघुवंशी अ0सा0–18 ने कथन किये हैं कि दिनांक 03/08/2022 को थाना सिवनीमालवा के आरक्षक अजय द्वारा मृतक नजीर अहमद का पी.एम. कराने हेतु उसके समक्ष लेकर आये थे, जिसमें डॉक्टरों की टीम में वे स्वयं, डॉक्टर कांती बाथम, डॉक्टर जी.आर. करोड़े एवं डॉक्टर ऋषि चौबे सम्मलित थे, जिनके द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया गया था। मृतक नजीर अहमद टेबल पर लेटा हुआ था, मृतक की आंखे बंद थी, मुंह खुला हुआ था, हाथ की मुठियां खुली हुई थी, नाक से खून और पानी मिक्स होकर बह रहा था, मुंह में उल्टी के कण थे, मृतक ने भूरे रंग टी–शर्ट एवं पेन्ट पहने हुये था, काले रंग की अण्डरवियर और जूते पहने हुये थे, खून के धब्बे और मिट्टी टी–शर्ट, पेन्ट और जूते पर लगी हुयी थी।

19. डॉक्टर शेखर रघुवंशी अ0सा0–18 ने कथन किये हैं कि मृतक नजीर अहमद का <u>बाहरी परीक्षण</u> करने पर–

1. तीन फटे हुये घाव, सिर के आक्सीपिटल भाग पर मौजूद थे, जिनका आकार क्रमशः– 6.5 गुणा 2.0 सेन्टीमीटर, 5.5 गुणा 1.5 सेन्टीमीटर एवं 4 गुणा 1 सेन्टीमिटर था।
2. सिर की हड्डी टूटी हुई थी और खून जमा हुआ था।
3. एक कन्टूजन सूजन चहरे के सीधे भाग पर जिसका आकार 4.5 गुणा 2.5 का था।
4. एक कन्टूजन सूजन चेहरे के बाएं तरफ थी, जिसका आकार 2.5 गुणा 1.5 सेन्टीमीटर, एक कन्टूजन सूजन 8.5 गुणा 4.5 सेन्टीमीटर आकार का दाएं कंधे पर था।
5. एक कन्टूजन सूजन उल्टे हाथ की हथेले के पिछले पर मौजूद थी।
6. दाए जांघ पर कन्टूजन सूजन जिसका आकार 8.5 गुणा 2.8 सेन्टीमीटर का था तथा दूसरा कन्टूजन सूजन जिसका आकार 6.5 गुणा 2.5 सेन्टीमीटर का था, ये दोनों सूजन जांघ पर पैरेलर थे।
7. एक कन्टूजन सूजन बाएं पैर की जांघ पर थी जिसका आकार 7.5 गुणा 2.5 सेन्टीमीटर था।

20. डॉक्टर शेखर रघुवंशी अ0सा0–18 ने कथन किये हैं कि मृतक नजीर अहमद का आंतरिक परीक्षण करने पर पाया कि सिर की आक्सीपिटल हड्डी टूटी हुई थी। हदय का दाया चेम्बर खून से भरा हुआ था तथा बाया चेम्बर खाली था। पेट में अध पचा खाना मौजूद था। उनके मतानुसार मृतक के शरीर पर आई चोटे मृत्यु के पूर्व की होकर सख्त एवं बोथरी से वस्तु से आना संभव थी। उनके मतानुसार मृतक की मृत्यु का कारण गले में उल्टी फसाने के कारण दम घुटने से मृत्यु होना संभावित है। मृत्यु पोस्टमार्टम होने के 24 घन्टे के अंदर हुई थी। रिगर मोटिस दोनों हाथ एवं दोनों पैर में मौजूद थी। मृतक की पी.एम. रिपोर्ट प्र0पी0–65 पर अपने, डॉक्टर कांति बाथम, डॉक्टर जी.आर. करोड़े एवं डॉक्टर ऋषि चौबे के हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। उन्होंने यह भी व्यक्त किया है कि उक्त सभी चिकित्सक उनके साथ पदस्थ रहे हैं तथा पी.एम. की टीम में सम्मिलित थे, इसलिए वह उनके हस्ताक्षर पहचानते हैं।

21. डॉक्टर शेखर रघुवंशी अ0सा0–18 ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 14 में यह स्वीकार किया है कि आहतगण की पहचान किस व्यक्ति ने की, इसका उल्लेख एम.एल.सी. रिपोर्ट में नहीं है, किन्तु स्पष्ट किया है कि पी.एम. रिपोर्ट में उल्लेखित है कि मृतक की पहचान किसने की थी। उन्होंने इस सुझाव से इंकार किया है कि मृतक को आई चोटे पेड़ पर गाड़ी टकराने के कारण आ सकती है। आहत शेख लाला अ0सा0–01 एवं सैय्यद मुश्ताक अ0सा0–02 द्वारा भी ऐसे कोई कथन नहीं किये गये हैं कि उन्हें चोटे गाड़ी

पेड़ से टकराने के कारण आई हो, बल्कि उन्होंने भीड़ द्वारा मारपीट करने पर चोट आना बताया है।

22. अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि मृतक नजीर की पी.एम. रिपोर्ट प्र0पी0–65 में उसकी मृत्यु का कारण गले में उल्टी फंसने के कारण दम घुटने से होना लेख किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि मृतक नजीर की मृत्यु उसे आई चोटों के कारण नहीं हुई। इस संदर्भ में अवलोकनीय है कि डॉक्टर शेखर रघुवंशी अ0सा0–18 द्वारा यद्यपि प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 14 में स्वीकार किया गया है कि मृतक नजीर अहमद के गले में उल्टी फंसने के कारण दम घुटने से उसकी मृत्यु होने का अभिमत दिया गया है, किन्तु उनके द्वारा ऐसे कोई कथन नहीं किये गये कि मृतक को आई चोटे मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त नहीं थी, न ही बचाव पक्ष द्वारा ऐसा कोई सुझाव उक्त चिकित्सक को दिया गया है। उपरोक्त पी.एम. रिपोर्ट प्र0पी0–65 से मृतक को बाहरी एवं आंतरिक चोटे आना साबित है तथा डॉक्टर शेखर रघुवंशी अ0सा0–18 की साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि मृतक बेहोशी की अवस्था में लाया गया था, उसकी हालत बहुत बुरी थी, उसका ऑक्सीजन लेबल एवं बी.पी. भी नहीं आ रहा था, जिससे बचाव पक्ष का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि मृतक की मृत्यु उसे आई चोटों के कारण नहीं हुई।

23. डॉक्टर शेखर रघुवंशी अ0सा0–18 ने यह भी व्यक्त किया है कि मृतक के कपड़े जिन पर खून लगा हुआ था, उन्हें उसने सीलबंद कर संबंधित आरक्षक अजय को सुपुर्द किये थे तथा शव को भी सुपुर्द किया था, जिसकी पावती पीएम रिपोर्ट प्र0पी0–65 पर है। उन्होंने यह भी व्यक्त किया है कि मृतक के पीएम की विडियोग्राफी करायी गयी थी।

24. उपनिरीक्षक नंदलाल झरवड़े अ0सा0–20 ने भी व्यक्त किया है कि शव पंचनामा कार्यवाही के पश्चात् मृतक नजीर के शव को आरक्षक क्रमांक 482 अजय को सुपुर्द कर पीएम फार्म भर कर एवं ड्यूटी प्रमाण पत्र देकर डॉक्टर के समक्ष पीएम कराने हेतु भेजा था। उक्त कर्त्तव्य प्रमाण पत्र प्र0पी0–58/प्र0पी0–85 पर अपने हस्ताक्षर भी प्रमाणित किये हैं।

25. उपनिरीक्षक नंदलाल झरवड़े अ0सा0–20 ने यह भी व्यक्त किया है कि उक्त दिनांक को आरक्षक अजय गुप्ता क्रमांक 483 सिवनीमालवा के द्वारा मृतक नजीर अहमद आत्मज मोहम्मद शकूर, उम्र 50 वर्ष, निवासी यास्मीन नगर पीएस नागपुरी गेट अमरावती के पीएम के पश्चात् मृतक के कपड़ों का एक सीलबंद पैकिट जो सीएचसी सिवनीमालवा की सील एवं चपड़े की सील से सीलबंद था, उसे साक्षी आरक्षक शैतानसिंह एवं आरक्षक बलराम के समक्ष विधिवत् जप्त कराया था, जिसका जप्तीपत्रक प्र0पी0–50 है, जिस पर

अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं।

26. आरक्षक अजय अ0सा0–16 ने भी अपने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 03/08/2022 को वह मृतक नजीर अहमद के शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए सीएचसी सिवनीमालवा लेकर गया था। मृतक का पी.एम. होने के उपरान्त सीएचसी सिवनीमालवा से प्राप्त एक सीलबंद पैकिट, जिसमें मृतक नजीर अहमद के कपड़े थे, जिस पर सी.एच.सी. सिवनीमालवा की सील एवं चपड़ा सील से बंद था, को उपनिरीक्षक एन.एल. झरबड़े को साक्षियों के समक्ष विधिवत् जप्त कराया था, जिसका जप्तीपत्रक प्र0पी0–50 पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि पोस्टमार्टम के पश्चात् मृतक के शव को उसके परिजन को सौपा था, जिसका शव सुपुर्दनामा प्र0पी0–57 है। उसके द्वारा ड्यूटी प्रमाण पत्र प्र0पी0–58/प्र0पी0–85 दिया गया था, जिस पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं।

27. निरीक्षक जितेन्द्रसिंह यादव अ0सा0–19 ने कथन किये हैं कि दिनांक 03/08/2022 को उक्त अपराध में उनके द्वारा घटनास्थल पहुंचकर साक्षी यज्ञेश तिवारी की निशादेही पर घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी0–18/प्र0पी0–54 तैयार किया था। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा घटनास्थल से साक्षियों के समक्ष खून आलूदा घास, सादी घास, घटनास्थल से खून आलूदा मिट्‌टी, सादी मिट्‌टी, घटना से तीन जोड़ प्लास्टिक की चप्पल, एक लकड़ी का 2 फिट का टुकड़ा जिस पर खून लगा हुआ था तथा एक अन्य लकड़ी का टुकड़ा जिस पर खून लगा हुआ था, जिसकी लम्बाई 2 फिट थी, को जप्तकर जप्तीपत्रक प्र0पी0–53 बनाया था, जिस पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। ग्राम कोटवार नरेन्द्र चंडेलवाल अ0सा0–13 एवं ग्राम कोटवार सुरेन्द्र कुमार मोहरे अ0सा0–14 ने कथन किये हैं कि वह ग्राम बराखड़ कलॉ में कोटवार थे, पटवारी ने उनके समक्ष नक्शामौका तैयार किया था। उन्होंने नजरीनक्शा प्र0पी0–51 एवं जप्तीपत्रक प्र0पी0–53 पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं, किन्तु अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि पुलिस ने उनके समक्ष घटनास्थल से खून आलूदा घास, सादी घास, खून आलूदा मिट्‌टी, सादी मिट्‌टी, घटनास्थल से मिली तीन जोड़ चप्पल, दो लड़की के टुकड़े जिन पर खून लगा था, उन्हें जप्त किया था। उन्होंने यह भी व्यक्त किया है कि उन कागजों पर क्या लिखा था, उन्होंने पढ़ा नहीं था।

28. साक्षी यज्ञेश तिवारी अ0सा0–15 ने यद्यपि मौकानक्शा प्र0पी0–54 पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं, किन्तु उसके समक्ष नक्शामौका की कार्यवाही होने से इंकार किया है, किन्तु यह अवलोकनीय है कि घटनास्थल से उपरोक्त

जप्ती को लेकर निरीक्षक जितेन्द्र यादव अ0सा0–19 के कथन प्रतिपरीक्षण के दौरान भी अखण्डित है। घटनास्थल के फोटोग्राफ्स एम0ओ0–01 लगायत एम0ओ0–29 के अवलोकन से भी दर्शित होता है कि घटनास्थल पर उपरोक्त वस्तुएँ पाई गई।

29. प्रकरण में अभियोजन द्वारा पटवारी नजनीनक्शा प्र0पी0–51 प्रस्तुत किया गया है, जिसे पटवारी देवेन्द्र खंडरिया अ0सा0–12 ने विधिवत प्रमाणित किया है, किन्तु उक्त नजरीनक्शा घटना के लगभग 01 माह बाद दिनांक 01/09/2022 को तैयार किया गया, जिससे संबंधित तहसीलदार सिवनीमालवा को प्रेषित् प्रतिवेदन प्र0पी0–52 भी अभिलेख में संलग्न है। उक्त नजरीनक्शा प्र0पी0–51 में घटनास्थल को दर्शाया गया है, जो कि सिवनीमालवा नंदरवाड़ा रोड़ पर स्थित है, गॉव का आंतरिक मार्ग एवं आसपास स्थित खले के स्वामी का नाम भी दर्शाया है। उन्होंने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना दिनांक के पश्चात् उक्त नक्शा बनाने के पूर्व घटनास्थल में परिवर्तन हो गया था अथवा जे.सी.बी. चल गई थी, किन्तु अभियुक्तगण द्वारा तत्संबंध में कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

30. उपनिरीक्षक जितेन्द्रसिंह यादव अ0सा0–19 ने उपरोक्त जप्तशुदा वस्तुओं को ड्राफ्ट प्र0पी0–79 के माध्यम से विधि विज्ञान प्रयोगशाला भोपाल भेजना बताया है, जिसकी जमा पावती रसीद प्र0पी0–80 एवं एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्र0पी0–81 अभिलेख पर संलग्न है। अभियोजन द्वारा निरीक्षक जितेन्द्रसिंह यादव अ0सा0–19 की साक्ष्य के दौरान एफ.एस.एल. की चपड़ा सीलयुक्त सीलबंद अवस्था में खून आलूदा घास, एम0ओ0–39, सादी घास एम0ओ0–40, खून आलूदा मिट्टी एम0ओ0–41, सादी मिट्टी एम0ओ0–42, मृतक नजीर के कपड़े एम0आ0–43 प्रदर्शित कराये गये। उक्त एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्र0पी0–81 के अनुसार घटनास्थल से जप्त खून आलूदा घास प्रदर्श A, मृतक नजीर अहमद की टीशर्ट प्रदर्श G_1, मृतक नजीर अहमद की पेन्ट प्रदर्श G_2, मृतक नजीर अहमद की अंडरवियर G_3 पर मानव रक्त पाया गया।

31. उपरोक्त साक्षियों के कथनों एवं मेडिकल साक्ष्य के आधार पर यह साबित होता है कि दिनांक 03/08/2022 को रात्रि लगभग 12:30 बजे की घटना में मृतक नजीर अहमद को चोटे आई तथा उसकी मृत्यु कारित हुई। उक्त मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से विपरीत हुई, जो कि मानववध प्रकृति की होना साबित है। अतः विचारणीय प्रश्न कमांक 01 एवं 02 **''प्रमाणित''** है।

—:विचारणीय प्रश्न क्रमांक 04 लगायत 06 के संबंध में:—

32. उपरोक्त सभी विचारणीय प्रश्न परस्पर संबंधित होने से साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

33. अभियोजन द्वारा मामले में चक्षुदर्शी एवं परिस्थितिजन्य दोनों साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। सर्वप्रथम चक्षदुर्शी साक्ष्य पर विचार किया जा रहा है। फरियादी शेख लाला अ0सा0—01 एवं आहत सैय्यद मुश्ताक अ0सा0—02 ने सारतः कथन किये हैं कि वे अभियुक्तगण को नहीं पहचानते, मृतक नजीर अहमद को पहचानते हैं। घटना उनके न्यायालयीन कथन से लगभग 01 साल पहले की है। वे लोग बस से अमरावती से सिवनीमालवा सब्जी का ट्रक लेने रात्रि लगभग 11:00 बजे आये थे। वे बस से उतरे तो नजीर सिवनीमालवा के पास एक गॉव ले गया और कहा कि गॉव से ट्रक अमरावती ले जाना है। शेख लाला ने ट्रक चालू किया तथा सैय्यद मुश्ताक व नजीर अहमद ट्रक में बैठकर रात्रि 11:00 बजे गॉव से निकले। वह 20 मिनिट की दूरी पर पहुॅचे, तब रास्ते में सामने से एक पिकअप तेज गति से आई और उनके ट्रक से टक्कर होते—होते बची। उनका ट्रक संतुलन खोकर पलटने से बच गया। शेख लाला ने ट्रक रोक दिया तो पिकअप वाले आये और उनके साथ मारपीट करने लगे। पिकअप वाहन में करीब 8—10 लोग थे। उन लोगों से बचने के लिये वे गॉव की तरफ भागे तो गॉव वाले बाहर आ गये और उन्होंने उन्हें चोर समझ लिया। गॉव वालों ने उनके साथ मारपीट चालू कर दी, गॉव वाले लगभग 100—150 लोग थे।

34. उक्त दोनों आहतगण शेख लाला अ0सा0—01 एवं सैय्यद मुश्ताक अ0सा0—02 को अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने उन्होंने इन सुझाव से इंकार किया है कि एक ट्रक में जानवरों को लेकर जा रहे थे, तब अभियुक्तगण ने ट्रक पकड़ा था और उनके साथ मारपीट की थी। उक्त साक्षीगण ने इन सुझावों से भी इंकार किया है कि अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट करने से उन्हें तथा नजीर को चोटे आई थी तथा अभियुक्तगण द्वारा की गई मारपीट से नजीर को गंभीर चोटों के कारण मृत्यु हुई।

35. शेख लाला अ0सा0—01 ने देहाती नाल्सी प्र0पी0—01 एवं देहाती मर्ग सूचना प्र0पी0—02 पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। निरीक्षक जितेन्द्र यादव अ0सा0—19 ने भी अपने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि दिनांक 03/08/2022 को शासकीय अस्पताल सिवनीमालवा से लिखित सूचना प्र0पी0—60 प्राप्त होने पर वे सीएचसी सिवनीमालवा पहुंचे, जहां पर फरियादी शेख लाला पिता शेख अस्सू अजमेरी, निवासी धर्मचण्डी चारा बाजार अमरावती महाराष्ट्र की देहाती सूचना लेख की थी।

36. निरीक्षक जितेन्द्रसिंह यादव अ0सा0–19 ने कथन किये हैं कि फरियादी ने बताया था कि–नंदरवाड़ा के सेट्टी नामक व्यक्ति ने मोबाइल फोन करके उसे माल भरने बुलाया था। वह अपने ट्रक को लेकर अपने साथियों नजीर अहमद एवं शेख मुश्ताक के साथ दिनांक 02/08/2022 की शाम 5–6 बजे नंदरवाड़ा पहुंच गया था, जहां सेट्टी ने नंदरवाड़ा नहर के किनारे, खेत के पास उसके ट्रक में जानवर, जिसमें गाय ढोर भरवा दिये थे, जिन्हें वह लेकर अमरावती महाराष्ट्र जाने के लिये निकला, तब दिनांक 03/08/2022 की रात्रि 12:30 बजे करीब बराखड़ गांव के पास नंदरवाड़ा रोड़ पर पहुंचा तो वहां पर खड़े 10–12 गांव वाले लोगों ने उनका ट्रक रोक लिया था और वे तीनों को लाठी–डण्डों से मारने लगे थे, जिससे उन्हें चोटे आई थी। पुलिस वहॉ आ गई थी, पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर आयी थी। मारपीट की चोटों से उनके साथी नजीर अहमद की मृत्यु हो गयी थी, वह बराखड़ गांव के लोगों के विरूद्ध रिपोर्ट कर रहा है। उक्त सूचना के आधार उनके द्वारा देहाती सूचना 0/22 अंतर्गत धारा–147, 148, 307, 341, 302 भा.दं.सं. लेख की गई थी। उक्त देहाती सूचना प्र0पी0–1 है, जिस पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं, किन्तु फरियादी शेख लाला अ0सा0–01 ने अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उपरोक्त बाते लिखाने से इंकार किया है।

37. निरीक्षक जितेन्द्रसिंह यादव अ0सा0–19 ने कथन किये हैं कि विवेचना के दौरान उन्होंने साक्षीगण यज्ञेश तिवारी, फरियादी शेख लाला, सैय्यद मुश्ताक, सुयश तिवारी, आयूष उर्फ अवि मिश्रा, अवधेश तिवारी, अजय तिवारी, गब्बू उर्फ अनिरूद्ध के कथन लेख किये थे तथा दिनांक 03/08/2022 को साक्षी यज्ञेश तिवारी के न्यायालयीन कथन प्र0पी0–56 कराये थे। अभिलेख के अवलोकन से दर्शित होता है कि घटना दिनांक 03/08/2022 की है तथा उक्त दिनांक को ही साक्षी यज्ञेश तिवारी अ0सा0–15 के न्यायालयीन कथन अंतर्गत धारा 164 द.प्र.सं. प्र0पी0–56 कराये गये, जिसमें उसने स्वयं को चक्षुदर्शी साक्षी बताया है तथा घटना 14 अभियुक्तगण द्वारा कारित करना व्यक्त किया है, किन्तु उसने अपने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि वह अभियुक्तगण को नहीं जानता, फरियादी शेख लाला, मृतक नजीर अहमद एवं आहत सैय्यद मुश्ताक को भी नहीं जानता है। उसने व्यक्त किया है कि घटना 2 साल पहले की है वह अपने परिवार सहित यू.पी. गया था, जब वापस आया तब पता चला कि घटना हो गई है। उसने गॉव में चर्चा सुनी थी कि झगड़ा हो गया है तथा पेपर में भी खबर पढ़ी थी। उसने व्यक्त किया है कि पुलिस ने उसके बयान लिये थे एवं न्यायालय में भी उसके बयान कराये थे, किन्तु अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस बात से इंकार किया

है कि घटना के समय वह अपने घर ग्राम बराखड़ में था, चिल्ला चोट की आवाज सुनकर रोड़ पर पहुँचा था, तब देखा था कि राही चौक सिवनीमालवा के रहने वाले दीपक उर्फ बाबा, भोला, पवन, कन्हैया, प्रकाश, देवेन्द्र, राजा, गौरव, अज्जू राठौर, बल्लू रघुवंशी, राजू लोधी, आकाश उर्फ पिन्टोली, चेतन मराठा, आकाश सराठे व अन्य लोग हाथों मं डण्डा–लाठी लेकर खड़े हुये थे, उन लोगों ने ट्रेक्टर–ट्राली से रास्ता रोक लिया था, ट्रक क्रमांक एम.एच. –40–सी.डी.–8751, जो आईशर कंपनी का था, सभी लोगों ने रोका था तथा ड्राईवर व उसके दो सहयोगियों से लाठी, डण्डे व हाथ–घुसों से मारपीट करना शुरू कर दिया था। उक्त साक्षी ने यह भी इंकार किया है कि पुलिस कथन प्र0पी0–55 एवं न्यायालयीन कथन प्र0पी0–56 दिया था।

38. प्रकरण के अन्य साक्षी अवधेश तिवारी अ0सा0–03, सुयश तिवारी अ0साद्ध–05, अजय तिवारी अ0सा0–06, आयुष मिश्रा अ0सा0–07 ने अभियुक्तगण को पहचानने से इंकार किया है तथा घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं होना व्यक्त किया है। साक्षी अनिरूद्ध उर्फ गब्बू तिवारी अ0सा0–04 ने यद्यपि अभियुक्तगण को पहचानना बताया है तथा व्यक्त किया है कि सभी अभियुक्तगण सिवनीमालवा के निवासी है इसलिये जानता है, किन्तु घटना के बारे में जानकारी नहीं होना व्यक्त किया है। उक्त समस्त साक्षी अवधेश तिवारी अ0सा0–03, अनिरूद्ध उर्फ गब्बू तिवारी अ0सा0–04, सुयश तिवारी अ0सा0–05, अजय तिवारी अ0सा0–06, आयुष मिश्रा अ0सा0–07 को अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने इस सुझाव से इंकार किया है कि दिनांक 02/08/2022 को वे लोग बराखड़ खुर्द पहुँचे थे, तब देखा था कि नंदरवाड़ा रोड़ पर अभियुक्तगण हाथों में लाठी, डण्डे लेकर खड़े थे, जिन्होंने ट्रक डाईवर व उसके दो साथियों के साथ लाठी डण्डों से मारा था। उन्होंने अपने पुलिस कथन प्र0पी0–22 लगायत 26 से इंकार किया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वयं फरियादीगण एंव कथित चक्षुदर्शी साक्षीगण ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है, जिससे अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य पर विचार किया जाना उचित है।

39. नायब तहसीलदार नीलेश पटैल अ0सा0–10 ने कथन किया है कि वह दिनांक 03/08/2022 को नर्मदापुरम में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को थाना कोतवाली जिला नर्मदापुरम से उन्हें मरणासन्न कथन लेने के लिये पत्र प्राप्त हुआ था, जिसकी कार्बन प्रति प्र0पी0–49 प्रकरण में संलग्न है। उनके द्वारा दिनांक 03/08/2022 को जिला अस्पताल नर्मदापुरम में समय 11:30 बजे पहुंचकर ड्यूटी डॉक्टर से लाला अस्सू अजमेरी एवं सैय्यद मुश्ताक कथन देने की स्थिति में है अथवा नही, के बारे में पूछा गया। ड्यूटी डॉक्टर द्वारा फिट फोर स्टेटमेन्ट बताया

गया। उनके सामने लाला अस्सू अजमेरी एवं सैययद मुश्ताक होश में थे, दोनों एक ही रूम में अलग–अलग बेड पर थे। उन्होंने उनके बताये अनुसार उनके कथन पृथक–पृथक लेखबद्ध किये थे, कथन लेने के उपरान्त उनकी अंगूठा निशानी ली थी। कथन लेने के उपरान्त भी उसने ड्यूटी डॉक्टर से लाला अस्सू अजमेरी एवं सैय्यद मुश्ताक की स्थिति के बारे में पूछा था तो डॉक्टर द्वारा उनकी स्थिति ठीक होना बताया गया था। उनके द्वारा जो कथन लेखबद्ध किये गये थे, वे प्र0पी0–17 एवं प्र0पी0–20 है, जिनपर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। कथन लेने के उपरान्त उन्होंने उक्त कथनों को थाना कोतवाली जिला नर्मदापुरम भेज दिया था।

40. फरियादी शेख लाला अ0सा0–01 एवं सैय्यद मुश्ताक अ0सा0–02 ने मराणासन्न कथन प्र0पी0–17 एवं प्र0पी0–20 पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं, किन्तु उन्होंने बताया है कि अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान पुलिस ने कुछ कागजों पर अंगूठा लगवाया था, उन्होंने मरणासन्न कथन नहीं दिये थे। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उन्होंने उक्त मरणासन्न कथन देने से इंकार किया है।

41. अभियुक्तगण के विद्धान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि नायब तहसीलदार नीलेश पटैल अ0सा0–10 के कथनों से यह साबित नहीं होता है कि उन्होंने आहतगण के जो कथन लेना बताया है, उन्हें सीलबंद करके भेजा हो, जिससे कथन विश्वसनीय नहीं है, किन्तु यह अवलोकनीय है कि नायब तहसीलदार नीलेश पटैल अ0सा0–10 ने आहतगण अस्सू अजमेरी उर्फ शेख लाला एवं सैय्यद मुश्ताक के मरणासन्न कथन प्र0पी0–17 एवं प्र0पी0–20 पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं तथा शेख लाला अ0सा0–01 एवं सैय्यद मुश्ताक अ0सा0–02 ने भी उन पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किया है। यह भी अवलोकनीय है कि नायब तहसीलदार नीलेश पटैल अ0सा0–10 द्वारा उक्त कार्य पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किया गया है, जिससे धारा 119(e) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत यह उपधारित किया जा सकता है कि उक्त पदीय कार्य नियमित रूप से संपादित किया गया था।

42. नायब तहसीलदार नीलेश पटैल अ0सा0–10 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि मृत्युकालिक कथन प्र0पी0–17 एवं 20 में यह उल्लेखित नहीं है कि किन व्यक्तियों के द्वारा मारपीट की गई, जिन व्यक्तियों के द्वारा मारपीट की गई थी, उनकी संख्या 50–60 बताया था। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उक्त कथन प्र0पी0–17 एवं 20 में यह नहीं बताया था कि कौनसे गॉव के लोग थे। उक्त कथन प्र0पी0–17 एवं 20 में यह भी उल्लेखित नहीं है कि

जिस ट्रक से सामान जा रहा था, उक्त ट्रक के आगे कोई ट्रेक्टर–ट्राली या अन्य कोई वाहन अड़ाकर रास्ता रोका गया हो। उसमें यह भी उल्लेखित नहीं है कि किन हथियारों से मारा था। उक्त कथन प्र0पी0–17 एवं 20 के अवलोकन से दर्शित होता है कि उक्त कथनों में नंदरवाड़ा गॉव के आगे बायपास के पास रात्रि लगभग 01:00 बजे 50–60 लोगों ने मारा, लेख है। यह भी लेख है कि आयशर ट्रक में करीब 30 जानवर भरे थे, माल को देखकर गॉव वालों ने रोका एवं मारना शुरू कर दिया, जिससे स्पष्ट है कि मारने वाले व्यक्ति अज्ञात थे।

43. अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि देहाती सूचना प्र0पी0–01 में लेख है कि बराखड़ ग्राम के पास नंदरवाड़ा रोड़ के पास पहुॅचे तो वहॉ खड़े 10–12 गॉव वालों ने ट्रक रोक लिया व लाठी–डण्डों से मारपीट करने लगे तथा बराखड़ गॉव के लोगों के विरूद्ध कार्यवाही की मांग की है, जबकि मरणासन्न कथन प्र0पी0–17 व 20 नंदरवाड़ा गॉव के आगे बायपास के पास 50–60 लोगों के द्वारा मारना लेख है, इसके विपरीत फरियादी शेख लाला अ0सा0–01 एवं सैय्यद मुश्ताक अ0सा0–02 ने अपने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि रास्ते के सामने से एक पिकअप गाड़ी तेज गति से आई और उनके ट्रक से टक्कर होते–होते बची, उनका ट्रक संतुलन खोकर पलटने से बच गया, पिकअप वाहन में 8–10 लोग थे, जिन्होंने उनके साथ मारपीट की, वे लोग भागे तो गॉव वाले, जो कि लगभग 100 थे, उन्होंने मारपीट चालू कर दी, जिससे मारपीट करने वाले व्यक्तियों की संख्या तथा किस गॉव के लोगों के द्वारा मारपीट की गई, इस बिन्दु पर भिन्नता है, जिसमें उन्होंने अभियुक्तगण को पहचाना था। इस बिन्दु पर यह अवलोकनीय है कि आहतगण स्थानीय निवासी नहीं थे, जिससे बराखड़ ग्राम के पास घटना होने से देहाती सूचना प्र0पी0–01 में बराखड़ के अज्ञात लोगों के विरूद्ध शिकायत करना स्वाभाविक दर्शित होता है।

44. यह अवलोकनीय है कि फरियादी शेख लाला अ0सा0–01 एवं सैय्यद मुश्ताक अ0सा0–02 न्यायालय में पक्षद्रोही हो गये हैं तथा बचाव पक्ष द्वारा सुझाव दिये जाने पर प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 08 में स्वीकार किया है कि पिकअप वाले की पिटाई से बचने के लिये वे लोग गॉव के अंदर घुस गये थे, गॉव में घुसने के बाद गॉव वाले उन्हें चोर समझकर लट्ठ लेकर दौड़े थे तथा जो लोग उनके पीछे दौड़े थे, उनमें बच्चे, औरते व आदमी थे, गॉव में अंधेरा होने के कारण किसी को देख नहीं पाये थे, मारपीट करने वालों का चे. हरा देखकर भी नहीं पहचान सकते, किन्तु अभियोजन के अनुसार उक्त आ. हतगण से अभियुक्तगण की शिनाख्तगी कार्यवाही करवाई गई थी, जिसमें उन्होंने अभियुक्तगण को पहचाना था।

45. निरीक्षक जितेन्द्रसिंह यादव अ0सा0–19 ने कथन किये हैं कि उन्होंने अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारीपत्रक प्र0पी0–27 लगायत प्र0पी0–33 बनाया था तथा गिरफ्तारी की सूचना प्र0पी0–71 लगायत प्र0पी0–77 उनके परिजनों को दी थी। उन्होंने यह भी कथन किये हैं कि दिनांक 13/08/2022 को जे.एम.एफ.सी. न्यायालय सिवनीमालवा को अभियुक्तगण की शिनाख्तगी के संबंध में पत्र प्र0पी0–78 लेखबद्ध किया था तथा न्यायालय की अनुमति के उपरांत कार्यपालक मजिस्ट्रेट ललित सोनी सिवनीमालवा के द्वारा अभियुक्तगण की शिनाख्तगी कार्यवाही प्र0पी0–03 लगायत 09 कराई गई थी।

46. तहसीलदार ललित सोनी अ0सा0–09 ने अपने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि वह दिनांक 14/08/2022 को सिवनीमालवा में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक 460/2022 में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की हैसियत से उक्त अपराध के आरोपीगण की शिनाख्तगी के लिये सब जेल परिसर सिवनीमालवा गये थे। शिनाख्तगी के दौरान वहां पर कोई पुलिस अधिकारी उपस्थित नहीं था। प्रत्येक अभियुक्त के साथ उनसे मिलते जुलते हुलिये के अन्य चार लोगों को मिलाया गया था। आरोपीगण की पहचान हाथ के ईशारे से उनके समक्ष की गई थी। पहचान करने वाले शेख लाला एवं सैय्यद मुश्ताक थे तथा वहां पर साक्षी राजेन्द्र कुमार एवं प्रकाश पटैल उपस्थित थे। उन्होंने अभियुक्तगण की शिनाख्त के संबंध में शिनाख्तगी पंचनामा प्र0पी0–03 लगायत 09 पृथक–पृथक तैयार करना बताया है, जिस पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। उन्होंने यह भी कथन किये हैं कि दिनांक 16/08/2022 को तहसीलदार एवं दण्डाधिकारी तहसील–सिवनीमालवा, जिला–नर्मदापुरम के पत्र क्रमांक 92/रीडर/2022 के माध्यम से थाना प्रभारी सिवनीमालवा को आरोपीगण की शिनाख्ती करने के उपरान्त शिनाख्ती प्रतिवेदन बनाकर थाना प्रभारी के पत्र क्रमांक 815/2022 दिनांक 13/08/2022 के पालन में प्रेषित किया गया था। उक्त शिनाख्ती प्रतिवेदन प्र0पी0–48 पर अपने हस्ताक्षर भी प्रमाणित किये हैं।

47. अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि शिनाख्तगीकर्तागण जेल परिसर में कैसे आये, यह स्पष्ट नहीं किया गया। इस संदर्भ में अवलोकनीय है कि स्वयं फरियादी शेख लाला अ0सा0–01 एवं सैय्यद मुश्ताक अ0सा0–02 ने अपने न्यायलयीन कथनों में स्पष्ट किया है कि पुलिस उन्हें शिनाख्तगी कार्यवाही हेतु जेल लेकर गई थी। इस संदर्भ में तहसीलदार ललित सोनी अ0सा0–09 ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 09 में व्यक्त किया है कि जब वह शिनाख्तगी करने जाते हैं तब वहॉ शिनाख्तगी

करने वाले व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है, शिनाख्तगीकर्ता जेल परिसर के बाहर उन्हें खड़े मिले थे। उन्होंने यद्यपि व्यक्त किया है कि शिनाख्तगीकर्ता की पहचान सुनिश्चित करने के दस्तावेज उनके द्वारा देखे जाने का उल्लेख शिनाख्तगी मेमो प्र0पी0—03 लगायत प्र0पी0—09 में नहीं है, किन्तु कण्डिका 10 की अंतिम पक्ति में व्यक्त किया है कि सैय्यद मुश्ताक एवं शेख लाला के पास उपलब्ध उनके परिचय पत्र देखकर उन्हें पहचाना था। उक्त कथन प्रतिपरीक्षण के दौरान भी अखण्डित है।

48. अभियोजन द्वारा ट्रायल प्रोगाम में साक्षी राजेन्द्र कुमार एवं प्रकाश पटैल का नाम सम्मलित नहीं किया गया है, उक्त कारण से उक्त साक्षीगण के कथन उपलब्ध नहीं है। फरियादी शेख लाला अ0सा0—01 एवं सैय्यद मुश्ताक अ0सा0—02 ने कथन किये हैं कि पुलिस उन्हें अभियुक्तगण की शिनाख्तगी कार्यवाही किये जाने हेतु जेल लेकर गई थी, जेल में जेलर साहब ने अभियुक्तगण जो अभिरक्षा में थे, उनकी शिनाख्तगी करने के लिये बोला था, किन्तु उन्होंने अभियुक्तगण को पहचानने से इंकार किया है। शेख लाला अ0सा0—01 एवं सैय्यद मुश्ताक अ0सा0—02 ने शिनाख्तगी पंचनामा प्र0पी0—03 लगायत 09 एवं शिनाख्तगी पंचनामा प्र0पी0—10—सी लगायत 16—सी पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं, किन्तु अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने इस सुझाव से इंकार किया है कि उपजेल सिवनीमालवा में अभियुक्तगण की शिनाख्तगी कार्यवाही में उन्होंने अभियुक्तगण को सही पहचाना था।

49. अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि शिनाख्तगी पंचनामा प्र0पी0—03 लगायत 09 एवं प्र0पी0—10—सी लगायत प्र0पी0—16—सी में कार्यवाही में उपयोग किये गये कम्बल किस रंग, साईज के थे, इसका उल्लेख नहीं है, अभियुक्तगण की शिनाख्तगी के दौरान मिलाये गये व्यक्तियों का क्रम क्या रखा गया, इसका उल्लेख नहीं है, सैय्यद मुश्ताक एवं शेख लाला की पहचान सुनिश्चित करने का उल्लेख प्रतिवेदन में नहीं है, जिससे समस्त शिनाख्तगी कार्यवाही दूषित है। इस संदर्भ में तहसीलदार ललित सोनी अ0सा0—09 ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 10 में स्वीकार किया है कि शिनाख्तगी कार्यवाही में उपयोग किये गये कम्बल के रंग साईज एवं शिनाख्तगी के दौरान मिलाये गये व्यक्तियों के क्रम का उल्लेख नहीं है, किन्तु उन्होंने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 11 में स्पष्ट किया है कि सामान्य कद काठी के व्यक्तियों को मिलाया गया था तथा शिनाख्तगी पंचनामा में हुलिया सामान होना टाईप था इसलिये पृथक से नहीं लिखा। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि शिनाख्तगी प्रपत्र में यह नहीं लिखा कि उक्त कार्यवाही अभियुक्तगण के विरूद्ध उपयोग की जा सकेगी, किन्तु यह

स्पष्ट किया है कि मौखिक रूप से समझाईश दी थी। उन्होंने इस सुझाव से इंकार किया है कि शिनाख्तकर्तागण ने अभियुक्तगण की सही पहचान नहीं की थी, किन्तु कण्डिका 12 में यह स्वीकार किया है कि शिनाख्तगी प्रपत्र प्र0पी0–06 एवं 08 में अभियुक्त आकाश उर्फ पिन्टोली एवं अभियुक्त संदीप उर्फ राजा को शिनाख्तकर्तागण द्वारा सही नहीं पहचाना गया था। इस प्रकार दर्शित होता है कि शिनाख्तगी कार्यवाही संपादित करने वाले तहसीलदार ललित सोनी अ0सा0–09 के कथन उपरोक्त कार्यवाही को लेकर अखण्डित है एवं उनके कथनों से उक्त कार्यवाही विधिवत संपादित करना दर्शित है, किन्तु स्वयं शिनाख्तगीकर्तागण शेख लाला एवं सैय्यद मुश्ताक ने उक्त कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।

50. अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि शिनाख्तगी पंचनामा प्र0पी0–03 लगायत 09 में उपजेल अधीक्षक सिवनीमालवा के हस्ताक्षर अथवा सील अंकित नहीं है, जिससे यह साबित नहीं होता है कि उक्त कार्यवाही उपजेल सिवनीमालवा में कराई गई तथा शिनाख्तगी कार्यवाही दूषित है। इस संदर्भ में तहसीलदार ललित सोनी अ0सा0–09 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि शिनाख्तगी पंचनामा प्र0पी0–03 लगायत 09 में उपजेल अधीक्षक के हस्ताक्षर अथवा सील अंकित नहीं है, किन्तु स्वयं न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियुक्तगण की शिनाख्तगी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र प्र0पी0–78 न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था।

51. अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि यदि तहसीलदार को शिनाख्तगी कार्यवाही करना हो तो सबसे पहले जेल अधीक्षक को पत्र देते हैं तथा जेल अधीक्षक उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में मिलान करने वाले व्यक्तियों की व्यवस्था कर सूचित करते हैं तथा जेल अधीक्षक की उपस्थिति में की गई शिनाख्तगी कार्यवाही को हस्ताक्षर व सील से प्रमाणित करते हैं तथा जेल में किसी व्यक्ति के आने व जाने की आमद एवं वापसी दर्ज की जाती है, किन्तु ऐसे कोई सूचना पत्र अथवा जेल का रजिस्टर अभिलेख पर नहीं हैं, न ही शिनाख्तगीपत्रक में जेल अधीक्षक की सील अंकित है, किन्तु तहसीलदार ललित सोनी अ0सा0–09 ने प्रतिपरीक्षण में इस बात से स्पष्ट इंकार किया है कि उनके सामने अभियुक्तगण की शिनाख्तगी कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि फरियादीगण ने शिनाख्तगी में अभियुक्तगण को नहीं पहचाना था।

52. अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि शिनाख्तगीकर्ता शेख लाला अ0सा0–01 एवं सैय्यद मुश्ताक अ0सा0–02 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि शिनाख्तगी की सम्पूर्ण कार्यवाही जेलर

साहब के आफिस में हुई थी, उस समय वहॉ पर पुलिस वाले भी थे, जेल में लॉकप नहीं हुआ था इसलिये जेल के गेट की दूसरी तरफ अनेक मुल्जिम घूम रहे थे, जिससे पहचान कार्यवाही विधिवत नहीं है, किन्तु यह अवलोकनीय है कि तहसीलदार ललित सोनी अ0सा0–09 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि शिनाख्तगी के दस्तावेज उन्होंने अपने कार्यालय में बैठकर तैयार किये थे। उनके प्रतिपरीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा ऐसे कोई सुझाव नहीं दिये गये कि उक्त कार्यवाही के समय पुलिस मौजूद हो। तहसीलदार ललित सोनी अ0सा0–09 की साक्ष्य के दौरान ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये, जिससे कहा जा सके कि शिनाख्तगी कार्यवाही दूषित हो।

53. यह अवलोकनीय है कि फरियादीगण द्वारा यद्यपि शिनाख्तगी कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया है, जिससे यह अधिसंभाव्य दर्शित है कि प्रभावित (win over) होकर उन्होंने न्यायालय में कथन किये हैं, किन्तु यह अवलोकनीय है कि उपरोक्त शिनाख्तगी कार्यवाही तहसीलदार ललित सोनी द्वारा पदीय कर्तव्य के निर्वहन में की गई है, जिससे धारा 119 (e) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अंतर्गत यह उपधारित किया जा सकता है कि उक्त पदीय कार्य नियमित रूप से संपादित किया गया है। शिनाख्तगी कार्यवाही को लेकर तहसीलदार ललित सोनी अ0सा0–09 के कथन प्रतिपरीक्षण के दौरान भी अखण्डित रहे हैं।

54. उपरोक्त परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का **न्यायदृष्टांत Mukesh and another Vs. State (NCT of Delhi) and others reported in (2017) 6 SCC 1** अवलोकनीय है, जिसमें प्रतिपादित किया गया है कि–.

"143. In Santokh Singh v. Izhar Hussain, it has been observed that the identification can only be used as corroborative of the statement in court.

144. In Malkhansingh v. State of M.P., it has been held thus:

"7.... The identification parades belong to the stage of investigation, and there is no provision in the Code of Criminal Procedure which obliges the investigating agency to hold, or confers a right upon the accused to claim a test identification parade. They do not constitute substantive evidence and these parades are essentially governed by Section 162 of the Code of

Criminal Procedure. Failure to hold a test identification parade would not make inadmissible the evidence of identification in court. The weight to be attached to such identification should be a matter for the courts of fact...."

And again:

"16. It is well settled that the substantive evidence is the evidence of identification in court and the test identification parade provides corroboration to the identification of the witness in court, if required. However, what weight must be attached to the evidence of identification in court, which is not preceded by a test identification parade, is a matter for the courts of fact to examine....

55. उपरोक्त परिस्थितियों से स्पष्ट है कि प्रकरण में स्वयं आहतगण व चक्षदुर्शी साक्षीगण द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं किया गया है, जिससे उपरोक्त न्यायदृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में शिनाख्तगी कार्यवाही सारवान साक्ष्य न होकर पुष्टिकारक साक्ष्य है। अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा **न्यायदृष्टांत B. Virupakshaiah Vs. State of Karnataka and others. 2016 (1) MPWN 112**, प्रस्तुत किया गया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि अभियोजन साक्षीगण के कथनों में तात्विक परिवर्तन था, आयुध वस्त्र आदि के बरामदगी के अनुप्रमाणक साक्षी पक्षद्रोही हो गये, जिससे साक्ष्य विश्वसनीय नहीं होने से दोषमुक्त किया गया। इसी प्रकार का अभिमत माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा **न्यायदृष्टांत The State of Chhattisgarh Vs. Ramlal Yadav and others. 2012 CRLJ 3661** दिया गया है।

56. वर्तमान प्रकरण में यद्यपि चक्षदुर्शी साक्षीगण ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है तथा अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा **न्यायदृष्टांत Shahid Khan Vs. State of Rajasthan 2016 (1) MPWN 135** प्रस्तुत किया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिमत दिया गया कि मामले में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने में गंभीर संदेह उत्पन्न करता है, किसी स्वतंत्र स्त्रोत से पुष्टि नहीं हुई, जिससे मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं माना जा सकता, किन्तु यह भी अवलोकनीय है कि अभियोजन अपने मामलो को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर भी साबित कर सकता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **शेख जाकिर विरूद्ध बिहार राज्य ए.आई.आर. 1983 एस.सी. 911** अवलोकनीय है, जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि यह आसामान्य

नहीं है कि कुछ साक्षी पक्षद्रोही हो जाये, किन्तु मात्र उक्त आधार पर न्यायालय को किसी अभियुक्त को दोषी मानने से नहीं रोका जा सकता, यदि उसकी दोषसिद्धि के संबंध में अन्य साक्ष्य उपलब्ध हो। इन परिस्थितियों को देखते हुये अभिलेख पर उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विचार किया जाना उचित है।

57. निरीक्षक जितेन्द्रसिंह यादव अ0सा0–19 ने कथन किये हैं कि दिनांक 03/08/2022 को साक्षियों के समक्ष अभियुक्त गौरव यादव से पूछताछ कर मेमोरेण्डम प्र0पी0–34 लिया गया, जिसमें उसने बताया कि घटना में उसके द्वारा प्रयुक्त डण्डा तथा घटना के समय पहने कपड़े उसने अपने घर पर पीछे टीन वाले पुराने मकान में छुपाकर रखे है, चल कर बरामद करा देता है। दिनांक 03/08/2022 को अभियुक्त गौरव यादव के घर काली मंदिर के पास सिवनीमालवा से अभियुक्त गौरव के घर के टीन वाले पुराने मकान में से अभियुक्त द्वारा पेश करने पर साक्षियों के समक्ष एक बांस का डण्डा, जिसकी लम्बाई 3.5 फिट है जिसमें 5 गठाने थी, जिसमें दो जगह खून लगा हुआ था तथा घटना के समय पहने हुये अभियुक्त गौरव के कपड़े, जिसमें एक पिस्ता कलर का लोवर एवं लाल रंग की टी–शर्ट जिसपर खून लगा हुआ है, को साक्षियों के समक्ष विधिवत् जप्तकर जप्तीपत्रक प्र0पी0–41 तैयार किया था, जिस पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये गये हैं।

58. निरीक्षक जितेन्द्रसिंह यादव अ0सा0–19 ने कथन किये हैं कि उन्होंने उक्त दिनांक को ही अभियुक्त आकाश सराठे से साक्षियों के समक्ष उससे पूछताछ कर उसका मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0–35 लिया था, जिसमें उसने बताया था कि घटना में प्रयुक्त डण्डा एवं घटना के समय पहने कपड़े अपने घर में पंलग के नीचे छिपाकर रखे है, चलकर बरामद करा देता हूँ। उक्त दिनांक को ही अभियुक्त आकाश सराठे के घर राही चौक सिवनीमालवा से उसके घर के पंलग के नीचे से अभियुक्त द्वारा निकालकर पेश करने पर एक बांस का डण्डा, जिसकी लम्बाई 4 फिट थी, जिसमें 5 गठान थी, जिसमें एक–दो जगह खून लगा हुआ था तथा घटना के समय पहने हुये कपड़े जिसमें काले रंग की टी–शर्ट जिसमें खून के धब्बे लगे थे, साक्षियों के समक्ष जप्तकर थाना सिवनीमालवा की सील से सीलबंद किया था, उक्त जप्तीपत्रक प्र0पी0–43 है जिस पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं।

59. निरीक्षक जितेन्द्रसिंह यादव अ0सा0–19 ने कथन किये हैं कि उन्होंने उक्त दिनांक को ही अभियुक्त आकाश उर्फ पिन्टोली से साक्षियों के समक्ष उससे पूछताछ कर उसका मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0–36 लिया था, जिसमें उसने बताया था कि घटना में प्रयुक्त डण्डे को अपने घर के सामने घास की बनी छपरी पर एवं घटना के समय पहने कपड़े अपने घर में पंलग के नीचे

छिपाकर रखे है, चलकर बरामद करा देता हूं। उक्त दिनांक को ही अभियुक्त आकाश उर्फ पिन्टोली के घर वार्ड नम्बर 13 सिवनीमालवा से उसके घर के सामने बनी घास की छपरी से अभियुक्त द्वारा निकालकर पेश करने पर एक बांस का डण्डा जिसकी लम्बाई 10 फिट थी, जिसमें 4 गठान थी, जिसमें एक जगह खून लगा हुआ था तथा घर में पलंग के नीचे से घटना के समय पहने हुये कपड़े जिसमें एक ग्रे रंग का लोवर जिसमें खून के धब्बे लगे थे, साक्षियों के समक्ष जप्तकर थाना सिवनीमालवा की सील से सीलबंद किया था, उक्त जप्तीपत्रक प्र0पी0–44 है, जिस पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये गये हैं।

60. निरीक्षक जितेन्द्रसिंह यादव अ0सा0–19 ने कथन किये हैं कि उन्होंने उक्त दिनांक को ही अभियुक्त राजू उर्फ राजेन्द्र कौशल से साक्षियों के समक्ष उससे पूछताछ कर उसका मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0–37 लिया था, जिसमें उसने बताया था कि घटना में प्रयुक्त डण्डे को अपने घर में बीच वाले कमरे में एवं घटना के समय पहने कपड़े अपने घर के ऊपर वाले कमरे में छिपाकर रखे है, चलकर बरामद करा देता हूॅ। उक्त दिनांक को ही अभियुक्त राजू उर्फ राजेन्द्र के घर लोधी मोहल्ला सिवनीमालवा से उसके घर के बीच वाले कमरे से अभियुक्त द्वारा निकालकर पेश करने पर एक बांस का डण्डा जिसकी लम्बाई 5 फिट थी, जिसमें 6 गठान थी, जिसमें दो–तीन जगह खून लगा हुआ था तथा ऊपर वाले कमरे से घटना के समय पहने हुये कपड़े जिसमें काले भूरे रंग की टी–शर्ट जिसमें खून के धब्बे लगे थे, को साक्षियों के समक्ष जप्तकर थाना सिवनीमालवा की सील से सीलबंद किया था, उक्त जप्तीपत्रक प्र0पी0–42 है, जिस पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं।

61. निरीक्षक जितेन्द्रसिंह यादव अ0सा0–19 ने कथन किये हैं कि उन्होंने दिनांक 04/08/2022 को अभियुक्त चेतन मराठा से साक्षियों के समक्ष पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0–38 लिया था, जिसमें उसने बताया था कि घटना में प्रयुक्त डण्डा उसके घर के अंदर रखा है, चलकर बरामद करा देता हूॅ। उक्त दिनांक को ही उनके द्वारा अभियुक्त चेतन मराठा के घर देवल मोहल्ला सिवनीमालवा पहुंचकर उसके घर के अंदर से निकालकर पेश करने पर एक बांस का डण्डा जिसकी लम्बाई 3 फिट 5 इंच, जिसमें तीन गठान थी, जिसमें एक जगह खून लगा था, को साक्षियों के समक्ष विधिवत् जप्तकर जप्तीपत्रक प्र0पी0–46 बनाया था जिसपर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये गये हैं।

62. निरीक्षक जितेन्द्रसिंह यादव अ0सा0–19 ने कथन किये हैं कि उन्होंने दिनांक 05/08/2022 को अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ छोटू से साक्षियों के समक्ष पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0–39 लिया, जिसमें उसने बताया कि घटना में प्रयुक्त डण्डा उसने अपने घर के पंलग के नीचे छिपा कर रखा

है तथा घटना के समय पहने कपड़े अपने घर के अंदर छुपाकर रखे हैं, चल कर बरामद करा देता हूँ। उक्त दिनांक को ही अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ छोटू के घर गोटियापुरा सिवनीमालवा से घटना में प्रयुक्त एक बांस का डण्डा उसके घर में पलंग के नीचे से निकलकर पेश की, जिसकी लम्बाई 3 फिट 4 इंच थी, जिसमें 3 गठान थी, जिसमें खून लगा हुआ था तथा घर के कमरे से घटना के समय पहने हुये कपड़े जिसमें लाल रंग की टी–शर्ट जिसमें Maxwin की चिट लगी हुयी थी, जिसपर सामने खून के धब्बे लगे थे तथा भूरे मट–मेले मेहन्दी कलर का लोवर पर खून लगा था, को साक्षियों के समक्ष जप्तकर थाना सिवनीमालवा की सील से सीलबंद किया था, उक्त जप्तीपत्रक प्र0पी0–45 है जिसपर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं।

63. निरीक्षक जितेन्द्रसिंह यादव अ0सा0–19 ने कथन किये हैं कि उन्होंने उक्त दिनांक को ही अभियुक्त संदीप उर्फ राजा से साक्षियों के समक्ष पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0–40 लिया था, जिसमें उसने बताया था कि घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डण्डा उसने अपने घर में दरवाजे के साइड में छुपाकर रखा है, चलकर बरामद करा देता हूँ। उक्त दिनांक को ही अभियुक्त संदीप का घर गोटियापुरा सिवनीमालवा से उसके घर के दरवाजे के साईड से निकालकर पेश करने पर एक बांस का डण्डा जिसकी लम्बाई 3 फिट थी, डण्डे पर 3 गठाने थी, जिसपर खून लगा हुआ था, साक्षियों के समक्ष विधिवत् जप्तकर जप्तीपत्रक प्र0पी0–47 बनाया था, जिस पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं।

64. निरीक्षक जितेन्द्रसिंह यादव अ0सा0–19 की साक्ष्य की दौरान अभियोजन द्वारा सम्पत्ति जो कि एफ.एस.एल. की सील से सीलबंद थी प्रस्तुत की गई, जिसमें 7 लकड़ी के डण्डे, 2 लकड़ी के टुकड़े थे, जिन पर जप्ती चिट लगी हुई थी। उक्त डण्डों को एम0ओ0–30–ए लगायत एम0ओ0–36–ए तथा 2 लकड़ी के टुकड़ो को एम0ओ0–37 व 38 से प्रदर्शित किया गया। इसके अतिरिक्त एफ.एस.एल. की चपड़ा सील से सीलबंद पैकेट में अभियुक्त गौरव के लोवर टी–शर्ट एम0ओ0–44, अभियुक्त राजू के टीशर्ट लोवर एम0ओ0–45, अभियुक्त आकाश की टीशर्ट एम0ओ0–46, अभियुक्त आकाश उर्फ पिन्टोली के कपड़े एम0ओ0–47, अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ छोटू के कपड़े एम0ओ0–48 एवं तीन जोड़ी चप्पले एम0ओ0–49 प्रस्तुत किये गये।

65. उपरोक्त मेमोरेण्डम, जप्ती एवं गिरफ्तारी कार्यवाही के साक्षी पंकज सराठे अ0सा0–08 एवं विजय कुमार कुशवाहा अ0सा0–21 ने अभियुक्तगण को पहचानने से इंकार किया है तथा घटना की कोई जानकारी नहीं होना बताया है। उक्त साक्षीगण ने यद्यपि गिरफ्तारीपत्रक प्र0पी0–27 लगायत

प्र0पी0–33, मेमोरेण्डम कथन प्र0पी0–34 लगायत प्र0पी0–40 एवं जप्तीपत्रक प्र0पी0–41 लगायत प्र0पी0–47 पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किया है, किन्तु अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उनके समक्ष उपरोक्त कार्यवाहियॉ होने से इंकार किया है। साक्षी पंकज सराठे अ0सा0–08 ने अपने मुख्यपरीक्षण में व्यक्त किया है कि उसका रेस्टोरेन्ट तहसील व थाने के बीच सिवनीमालवा में है, वह अक्सर थाने में भोजन देने जाता है तथा प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि जब वह खाना देने गया था, तब 20–25 कागजों पर हस्ताक्षर किये थे। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने किसी आरोपी को बैठाकर पूछताछ नहीं की, उसके सामने अभियुक्तगण से सम्पत्ति जप्त नहीं की, पुलिस उसे किसी भी आरोपी के घर नहीं ले गई थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि पंच साक्षी पंकज सराठे अ0सा0–08 एवं विजय कुमार कुशवाहा अ0सा0–21 द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं किया गया है तथा मेमोरेण्डम, जप्ती व गिरफ्तारी कार्यवाही के संदर्भ में केवल विवेचक जितेन्द्रसिंह यादव अ0सा0–19 के कथन उपलब्ध है।

66. उपरोक्त परिस्थितियों में **न्यायदृष्टांत करमजीत सिंह विरूद्ध स्टेट (2003) 5 एस.सी.सी. 291** अवलोकनीय है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–"The testimony of police personnel should be treated in the same manner as any other witness and there is no principle of law that without corroboration by independent witnesses bear testimony cannot be relied upon the presumption that a person acts honestly applies as much in favour of a police personnel as any other persons and it is not proper judicial approach to disperse and suspect them without good grounds. It will all depend upon the facts and circumstances of each case and no principle of general application can be laid down."

67. अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा **न्यायदृष्टांत Naniya and others Vs. State of M.P. 1995 JLJ 157**, प्रस्तुत किया गया है, जिसमें माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अभिमत दिया गया है कि पुलिस अधिकारी बहुथा अपने मामले की सफलता में रूचि रखते हैं, जिससे मामला कमजोर होने पर भी वे अनावश्यक विस्तार दे सकते हैं। वर्तमान प्रकरण में निरीक्षक जितेन्द्रसिंह यादव अ0सा0–19 ने प्रतिपरीक्षण में इस बात से स्पष्ट इंकार किया है कि उन्होंने प्रमोशन पाने के लिये अभियुक्तगण के विरूद्ध झूठी विवेचना की थी तथा अभियुक्तगण द्वारा कोई बचाव साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है। इन परिस्थितियों में विवेचक जितेन्द्र यादव अ0सा0–19 के कथनों का सूक्ष्य अवलोकन किया जाना आवश्यक है।

68. निरीक्षक जितेन्द्र यादव अ0सा0–19 ने फरियादी के बताये अनुसार देहाती सूचना प्र0पी0–01 लेख करना बताया है। अभियुक्तगण द्वारा बचाव लिया गया है कि देहाती मर्ग सूचना प्र0पी0–01 में ग्राम बराखड़ खुर्द के लोगों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का लेख है, जबकि कोई भी अभियुक्त ग्राम बराखड़ खुर्द का नहीं है, इस संबंध में विवेचक जितेन्द्रसिंह यादव अ0सा0–19 ने कण्डिका 26 में स्पष्ट किया है कि नंदरवाड़ा से ग्राम बराखड़ खुर्द की दूरी 8–9 किलोमीटर दूर है तथा कण्डिका 28 में स्वीकार किया है कि प्रकरण के अभियुक्तगण ग्राम बराखड़ खुर्द के निवासी नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट किया है कि बराखड़ खुर्द से 4–5 किलोमीटर दूर के निवासी है। उन्होंने कण्डिका 21 में यह भी स्पष्ट किया है कि ग्राम बराखड़ खुर्द के पास घटना हुई थी इसलिये संभवतः पीड़ित ने बराखड़ खुर्द के लोगों द्वारा घटना कारित करना बताया। इसी कण्डिका में यह भी स्पष्ट किया है कि उन्होंने बराखड़ खुर्द जाकर पूछताछ की थी, तभी वहॉ चक्षदुर्शी साक्षी यज्ञेश तिवारी मिला था, जिससे उन्होंने जानकारी ली थी।

69. अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि निरीक्षक जितेन्द्र यादव अ0सा0–19 ने यज्ञेश तिवारी को घटना का चक्षुदर्शी साक्षी बताया है, किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया कि वह कहॉ मिला तथा किस स्थान पर उसके कथन लिये तथा फरियादीगण शेख लाला एवं सैय्यद मुश्ताक द्वारा भी ऐसे कथन नहीं किये गये कि मौके पर कोई चक्षुदर्शी साक्षी हो, किन्तु वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों से दर्शित होता है कि घटना रात्रि लगभग 12 से 01 बजे के बीच की है तथा फरियादीगण पर अचानक भीड़ द्वारा मारपीट की गई, इन परिस्थितियों में किसी भी साक्षी को घटना की कोई प्रत्याशा नहीं रहती, उस समय उसकी मानसिक क्षमता ऐसी नहीं होती है कि घटना के विस्तृत विवरण को गृहण कर सके। इस संदर्भ में **न्यायदृष्टांत भरवाड़ा भोगिन भाई विरूद्ध स्टेट ऑफ गुजरात ए.आई.आर. 1983 एस.सी. 753** अवलोकनीय है।

70. यह अवलोकनीय है कि साक्षी यज्ञेश तिवारी अ0सा0–15 द्वारा यद्यपि न्यायालयीन कथन में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है, किन्तु विवेचक जितेन्द्रसिंह यादव अ0सा0–19 द्वारा घटना दिनांक 03/08/2022 के वापसी के रोजनामचा सान्हा क्रमांक 30 की प्रति प्र0पी0–82 प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार निरीक्षक जितेन्द्रसिंह यादव व चार अभियुक्तगण राजू उर्फ राजेन्द्र कौशल, गौरव यादव, आकाश उर्फ पिन्टोली एवं आकाश सराठे की वापसी दर्ज है। उक्त रोजनामचा सान्हा जो कि घटना दिनांक का ही है, उसमें यह भी लेख है कि ग्राम बराखड़ के यज्ञेश कुमार पिता रामबाबू तिवारी की निशानदेही पर नक्शा बनाया गया। उसे धारा 160 द.प्र.सं. का नोटिस देकर

कथन दर्ज किये गये, चश्मदीद साक्षी यज्ञेश कुमार तिवारी के कथनों में मारपीट करने वाले आरोपीगण आकाश सराठे, गौरव यादव, आकाश उर्फ पिन्टोली, राजू उर्फ राजेन्द्र कौशल, चेतन मराठा, देवेन्द्र कोरी, संदीप उर्फ राजा, दीपक उर्फ बाबा केवट, भोला बाथव, पवन बाथव, कन्हैया बाथव, प्रकाश कौशल, अज्जू राठौर, बल्लू रघुवंशी सभी निवासी सिवनीमालवा की तलाश की गई तथा चश्मदीद साक्षी यज्ञेश तिवारी के धारा 164 द.प्र.सं. के कथन न्यायालय में कराने हेतु उपनिरीक्षक आकाश शर्मा के साथ रवाना किया। अभिलेख पर साक्षी यज्ञेश तिवारी अ0सा0—15 के धारा 164 द.प्र.सं. के कथन प्र0पी0—56 संलग्न है, जिसमें भी सभी अभियुक्तगण का नाम उल्लेखित है।

71. यह अवलोकनीय है कि रोजनामचा सान्हा पुलिस अधिनियम, 1861 के अधीन संधारित लोक दस्तावेज है, जिसमें थाने में किये गये प्रत्येक कार्य की प्रविष्ट की जाती है। उक्त रोजनामचा सान्हा पुलिस अधिकारी द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में रखा जाने वाला अभिलेख है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 29 में उपबंधित है कि—"Relevancy of entry in public record or an electronic record made in performance of duty.-An entry in any public or other official book, register or record or an electronic record, stating a fact in issue or relevant fact, and made by a public servant in the discharge of his official duty, or by any other person in performance of a duty specially enjoined by the law of the country in which such book, register or record or an electronic record, is kept, is itself a relevant fact." इसी प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 119(e) के अंतर्गत यह उपधारित किया जा सकता है कि उक्त पदीय कार्य नियमित रूप से सम्पादित किया गया था।

72. अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि साक्षी यज्ञेश तिवार अ0सा0—15 द्वारा कोई घटना नहीं देखी गई। उसके द्वारा अपने विरोधी व्यक्तियों का नाम पुलिस को बताया गया। इस संदर्भ में अवलो. कनीय है कि साक्षी यज्ञेश तिवारी अ0सा0—15 के पुलिस एवं न्यायालयीन कथन घटना दिनांक 03/08/2022 को ही कराये गये हैं, जिसका इन्द्राज उपरोक्त रोजनामचा सान्हा में भी है। घटना के पश्चात् लिये गये उसके न्यायालयीन कथन अंतर्गत धारा 164 द.प्र.सं. का अंतराल भी अधिक नहीं है। अभियुक्तगण द्वारा यज्ञेश तिवारी अ0सा0—15 को ऐसे भी कोई सुझाव नहीं दिये गये कि अभियुक्तगण की उससे पूर्व की कोई बुराई थी, न ही तत्संबंध में कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत की गई है।

73. यह भी अवलोकनीय है कि साक्षी यज्ञेश तिवारी अ0सा0–15 ने न्यायालयीन कथन में स्वयं को चक्षुदर्शी साक्षी होने से इंकार किया है तथा अभियोजन का समर्थन नहीं किया है, जिससे यह तो दर्शित होता है कि प्रक. रण में चक्षुदर्शी साक्ष्य का अभाव है, किन्तु प्रकरण में यह अत्यन्त महत्वपूर्ण परिस्थिति है कि घटना के शीघ्र बाद साक्षी यज्ञेश तिवारी अ0सा0–15 के कथन लिये गये, जिसका इन्द्राज रोजनामचा सान्हा में भी है एवं न्यायालयीन कथन अंतर्गत धारा 164 द.प्र.सं. में भी सभी अभियुक्तगण का नाम बताया गया था।

74. प्रकरण में यह भी एक परिस्थिति उपलब्ध है कि तहसीलदार ललित सोनी अ0सा–09 द्वारा विधिवत शिनाख्तगी की कार्यवाही कराई गई, जिसमें शिनाख्तगीकर्तागण द्वारा अभियुक्त आकाश उर्फ पिन्टोली एवं संदीप उर्फ राजा के अलावा अन्य सभी अभियुक्तगण को सही पहचाना। उपरोक्त शिनाख्तगी कार्यवाही सम्पोषक प्रकृति की है तथा शिनाख्तगीकर्तागण ने इसका समर्थन नहीं किया है, किन्तु यह भी विचार योग्य है कि तहसीलदार ललित सोनी की अभियुक्तगण से कोई पूर्व से बैमनस्यता नहीं थी, उनके द्वारा पदीय कर्तव्य के निर्वाहन में उक्त कार्यवाही की गई, जिसके संबंध में उनके कथन प्रतिपरीक्षण के दौरान भी अखण्डित है।

75. निरीक्षक जितेन्द्रसिंह तिवारी अ0सा0–19 की साक्ष्य के दौरान अभियोजन द्वारा उपरोक्त जप्तशुदा सम्पत्ति अभियुक्त गौरव का लोवर टीशर्ट एम0ओ0–44, अभियुक्त राजू की टीशर्ट लोवर एम0ओ0–45, अभियुक्त आकाश की टीशर्ट एम0ओ0–46, अभियुक्त आकाश उर्फ पिन्टोली के कपड़े एम0ओ0–47, अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ छोटू के कपड़े एम0ओ0–48 एवं तीन जोड़ी चप्पले एम0ओ0–49 प्रस्तुत की गई। निरीक्षक जितेन्द्रसिंह तिवारी अ0सा0–19 ने कथन किये हैं कि उन्होंने ड्राफ्ट प्र0पी0–79 के माध्यम से उपरोक्त जप्तशुदा आर्टिकल को संयुक्त निर्देशक क्षेत्रीय न्यायालयीक विज्ञान प्रयोगशाला भोपाल भेजा था, जिसकी जमा पावती प्र0पी0–80 है एवं एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्र0पी0–81 है।

76. एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्र0पी0–81 के अनुसार सीलबंद 19 बंडल/बॉक्स/पैकिट आरक्षक पवन क्रमांक 457 आरक्षी केन्द्र सिवनीमालवा के द्वारा दिनांक 26.10.2022 को प्राप्त हुये, उसमें 19 प्रदर्श/पैकिट चिन्ह घटनास्थल से दिनांक 03.08.2022 को जप्त खून आलूदा घास A, घटनास्थल से दिनांक 03.08.2022 को जप्त सादा घास B, घटनास्थल से दिनांक 03.08.2022 को जप्त खून आलूदा मिट्टी C, घ टनास्थल से दिनांक 03.08.2022 को जप्त सादा मिट्टी D, घटनास्थल से

दिनांक 03.08.2022 को जप्त लकड़ी का टुकड़ा E, घटनास्थल से दिनांक 03.08.2022 को जप्त लकड़ी का टुकड़ा F, घटनास्थल से दिनांक 03.08.2022 को जप्त मृतक नजिर अहमद की टी–शर्ट G_1, घटनास्थल से दिनांक 03.08.2022 को जप्त मृतक नजिर अहमद का पेट G_2, घटनास्थल से दिनांक 03.08.2022 को जप्त मृतक नजिर अहमद की अण्डरवियर G_3, घटना दिनांक 03.08.2022 को अभियुक्त गौरव यादव से जप्त डण्डा H, घटना दिनांक 03.08.2022 को अभियुक्त गौरव यादव से जप्त टी–शर्ट I_1, घटना दिनांक 03.08.2022 को अभियुक्त गौरव यादव से जप्त लोअर I_2, घटना दिनांक 03.08.2022 को अभियुक्त राजू उर्फ राजेन्द्र से जप्त बांस का डण्डा J, घटना दिनांक 03.08.2022 को अभियुक्त राजू उर्फ राजेन्द्र से जप्त टी–शर्ट K, घटना दिनांक 03.08.2022 को अभियुक्त आकाश सराठे से जप्त बांस का डण्डा L, घटना दिनांक 03.08.2022 को अभियुक्त आकाश सराठे से जप्त टी–शर्ट M, घटना दिनांक 03.08.2022 को अभियुक्त आकाश उर्फ पिन्टोली से जप्त बांस का डण्डा N, घटना दिनांक 03.08.2022 को अभियुक्त आकाश उर्फ पिन्टोली से जप्त लोअर O, घटना दिनांक 04.08.2022 को अभियुक्त चेतन मराठा से जप्त बांस का डण्डा P, घटना दिनांक 04.08.2022 को अभियुक्त संदीप उर्फ राजा से जप्त बांस का डण्डा Q, घटना दिनांक 05.08.2022 को अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ छोटू से जप्त बांस का डण्डा R, घटना दिनांक 05.08.2022 को अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ छोटू से जप्त टी–शर्ट S_1, घटना दिनांक 05.08.2022 को अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ छोटू से जप्त जीन्स S_2 तक पाये गये जो सफेद कपड़ा के आवरण में अस्पताल/थाना की सील से सीलबंद थे, लगी हुई सील अविकल मिली, जिससे स्पष्ट है कि उक्त वस्तुओं की चैन ऑफ कस्टिडी यथावत रही।

77. एफएसएल रिपोर्ट प्र.पी.–81 के अनुसार उक्त प्रदर्शों पर बेंजीडीन/फिनाफ्थलीन तथा क्रिस्टल टेस्ट किये गये। प्रदर्श A, B, C, D, E, F, G_1, G_2, G_3, H, I_1, I_2, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S_1 एवं S_2 रक्त पाया गया तथा प्रदर्श A, G_1, G_2, G_3, I_1, I_2 एवं O पर मानव रक्त है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार B, C, D, K, M, S_1 एवं S_2 के धब्बे विघटित (डिस्इंटीग्रेट) है। इस प्रकार उपरोक्त एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्र0पी0–81 के आधार पर अभियुक्तगण को जप्तशुदा उपरोक्त वस्तुओं पर मानव रक्त होने की पुष्टि होती है।

78. अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा **न्यायदृष्टांत G Thankappan and others Vs. State of Kerala 2000 CRLJ 739**, प्रस्तुत किया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिमत दिया गया कि ऐसी कोई साक्ष्य नहीं थी कि अभियुक्तगण को अंतिम बार मृतक के साथ घटना की रात्रि में देखा गया हो। इस बिन्दु पर कोई अन्वेषण नहीं किया गया कि मृतक का ब्लडग्रुप क्या था, जिससे मृतक के हाथ में मात्र अभियुक्त की लुंगी का फाईबर पाये जाने से मामला साबित नहीं पाया, किन्तु उपरोक्त न्यायदृष्टांत के तथ्य एवं परिस्थितियॉ वर्तमान प्रकरण से भिन्न है, जो कि इस प्रकरण में लागू नहीं होता है। वर्तमान प्रकरण में जप्तशुदा लाठी, डण्डे व अभियुक्तगण के कपड़े, जिन पर खून लगा था, वे अभियुक्तगण के घर से ही जप्त किये गये हैं, उक्त बरामदगी किसी खुले स्थान से नहीं हुई है। अभियुक्तगण द्वारा विवेचक जितेन्द्र यादव के प्रतिपरीक्षण में ऐसा भी कोई बचाव नहीं लिया गया कि उक्त कपड़े अभियुक्तगण के नहीं है, अभिलेख पर खण्डन स्वरूप ऐसे भी कोई तथ्य सामने नहीं आये, जिनके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियुक्तगण की पुलिस से कोई पुरानी रंजिश थी, जिससे उन्हें रंजिशवश झूठा फंसाया गया है। अतः विवेचक जितेन्द्रसिंह यादव द्वारा की गई जप्ती कार्यवाहियों पर अविश्वास करने का कोई कारण भी दर्शित नहीं होता है।

79. उपरोक्त परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872/109 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत यह अभियुक्तगण पर दायित्व था कि वे स्पष्टीकरण दे कि उनके घर से जप्तशुदा उनके कपड़ों एवं लाठी-डण्डे पर मानव रक्त कैसे व किन परिस्थितियों में आया, किन्तु तत्संबंध में उनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अभियुक्तगण से अभियुक्त परीक्षण में भी एफ.एस.एल. रिपोर्ट के अनुसार उनसे जप्तशुदा प्रदर्शों पर मानव रक्त की उपस्थिति के संबंध में प्रश्न पूछे गये हैं, किन्तु अभियुक्त परीक्षण में भी इस बिन्दु पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इस संबंध में **न्यायदृष्टांत गजानंद दशरथ विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य 2016 ए. आई.आर. एस.सी.डब्ल्यू. 1255** अवलोकनीय है, जिसमें अभिमत दिया गया है कि अभियुक्त शांत रहकर इस आपराधिक दायित्व से नहीं बच सकता है कि अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना है।

80. **न्यायदृष्टांत नागिरेड्डी शिवा चेन्टी व अन्य विरूद्ध आंध्रप्रदेश राज्य 1992(1) क्राईम्स 409, 414** अवलोकनीय है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि जब अभियोजन द्वारा ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत की गई हो, जिसपर प्रथम दृष्टया मामला बनता हो, ऐसी दशा में ऐसे तथ्य को प्रमाणित करने का भार अभियुक्त पर हो जाता है कि वह उसके ज्ञान में था तथा उसके बारे में यदि

अभियुक्त पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं देता है तो इसका प्रभाव न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में लिया जा सकता है।

81. अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि इस बिन्दु पर कोई अन्वेषण नहीं किया गया कि मृतक का ब्लड ग्रुप क्या था तथा एफ.एस.एल. रिपोर्ट में भी परीक्षणशुदा प्रदर्शों में ब्लड ग्रुप का उल्लेख नहीं है, जिससे मामला साबित नहीं होता है। इस संदर्भ में अवलोकनीय है कि घटना दिनांक 03/08/2022 की है तथा अभियुक्त गौरव यादव, राजू उर्फ राजेन्द्र, आकाश सराठे, आकाश उर्फ पिन्टोली के घर से घटना दिनांक 03/08/2022 को ही जप्तीपत्रक प्र0पी0–41, 42, 43, 44 में वर्णित उनके कपड़े व डण्डे जप्त किये हैं, जिन पर मानव रक्त पाया गया है। उक्त जप्ती कार्यवाही एवं घटना के समय में अधिक अंतराल भी नहीं है। उसके पश्चात् दिनांक 04/08/2022 को अभियुक्त चेतन मराठा एवं दिनांक 05/08/2022 को अभियुक्त देवन्द्र उर्फ छोटू एवं अभियुक्त संदीप उर्फ राजा से मेमोरेण्डम, जप्ती कार्यवाही की गई, उक्त जप्तशुदा वस्तुओं पर भी एफ.एस.एल. रिपोर्ट के अनुसार मानव रक्त पाया गया है। घटना दिनांक को ही रोजनामचा सान्हा में सभी अभियुक्तगण का नाम यज्ञेश तिवारी द्वारा बताया गया है। इन समस्त परिस्थितियों को स्पष्ट करने का भार धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872/109 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत अभियुक्तगण पर था, किन्तु तत्संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जिसका प्रभाव निर्णय में लिया जा सकता है।

82. अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि निरीक्षक जितेन्द्र यादव अ0सा0–19 ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 29 में स्वीकार किया है कि उक्त नक्शामौका प्र0पी0–18 में वर्णित अनिल गौर, जो कि खले का मालिक था तथा खले के टप्पर में निवासरत् रामशंकर मर्सकोले के कथन नहीं लिये, जबकि वे महत्वपूर्ण साक्षी थे। उनके द्वारा **न्यायदृष्टांत Ganpat Vs. State of M.P. 2008 (11) MPWN 26**, प्रस्तुत किया गया, जिसमें माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि तात्विक साक्षीगण की परीक्षा नहीं कराई गई, जिससे एक मात्र साक्षी विश्वसनीय नहीं है व अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया गया। वर्तमान प्रकरण में अभियोजन का ऐसा प्रकरण नहीं है कि घटनास्थल के पास स्थित खले का स्वामी अनिल गौर अथवा उस खले के टप्पर में निवासरत् रामशंकर मर्सकोले चक्षुदर्शी साक्षी था, विवेचक जितेन्द्र यादव अ0सा0–19 ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 39 में यह भी स्पष्ट किया है कि उन्होंने रामशंकर मर्सकोले एवं अनिल गौर से पूछताछ की थी, उन्होंने घटना की जानकारी नहीं होना बताया था। यह भी अवलोकनीय है कि स्वयं अभियुक्तगण उक्त खले के मालिक

अनिल गौर व खले में निवासरत् रामशंकर मर्सकोले को बचाव में परीक्षित कराकर अपना पक्ष प्रमाणित कर सकते थे, किन्तु कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। अतः उपरोक्त न्यायदृष्टांत के तथ्य एवं परिस्थितियॉ वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण उक्त न्यायदृष्टांत इस प्रकरण में लागू नहीं होता है।

83. अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का **न्यायदृष्टांत प्रकाश विरूद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान ए.आई.आर. 2013 एस.सी. 1474**, **न्यायदृष्टांत Md. Faizan Ahmad @ Kalu Vs. State of Bihar 2013 (1) MPWN 72**, **न्यायदृष्टांत Dhanpal Vs. State by public Prosecutor, Madras. 2009 CRLJ 4647, न्यायदृष्टांत Nesar Ahimed Vs. State of Bihar 2001 (2) MPWN 6, न्यायदृष्टांत Sujoy Sen Vs. State of West Bengal 2007 (11) MPWN 89, तथा न्यायदृष्टांत Brajendrasingh Vs. State Of Madhya Pradesh 2012 CRLJ 1883** प्रस्तुत कर तर्क किये गये हैं कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य में भी सबूत का स्तर संदेह से परे होना आवश्यक है तथा संदेह कितना भी प्रबल हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता तथा अभियोजन को अपना मामला स्वयं प्रमाणित करना आवश्यक है, वह सबूत का भार अभियुक्त पर नहीं डाल सकता, किन्तु उपरोक्त न्यायदृष्टांत के तथ्य एवं परिस्थितियॉ वर्तमान प्रकरण से भिन्न है। वर्तमान प्रकरण में अभियुक्तगण के आधिपत्य के घर से खून लगी वस्तुएँ जप्त की गई, जिन पर मानव रक्त पाया गया। अभियोजन द्वारा जप्ती कार्यवाही विधिवत प्रमाणित की गई है, एफ.एस.एल. रिपोर्ट के अनुसार जप्तशुदा प्रदर्शों की चैन ऑफ कस्टिडी भी यथावत रही है। घटना दिनांक की कार्यवाही का रोजनामचा सान्हा भी प्रस्तुत किया गया है, इन परिस्थितियों में अभियुक्तगण पर स्पष्टीकरण का भार था, जो कि नहीं दिया गया। अतः उपरोक्त न्यायदृष्टांत वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होते हैं।

84. अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अन्य **न्यायदृष्टांत Virendra Vs. State of Haryana 2020 (1) MPWN 55** तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का **न्यायदृष्टांत State of U.P. Vs. Jai Prakash 2007 (111) MPWN 33**, प्रस्तुत किये गये, जिसमें निर्धारित किया गया कि जहॉ दो अभिमत संभव हो वहॉ अभियुक्त को लाभ दिया जाना चाहिये, किन्तु उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के तथ्य एवं परिस्थितियॉ वर्तमान प्रकरण से भिन्न है। वर्तमान प्रकरण में चक्षुदर्शी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, किन्तु उपरोक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियोजन द्वारा अपना मामला साबित किया गया है, जिससे उक्त न्यायदृष्टांत वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होते हैं।

85. अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि अभियुक्तगण का अपराध करने का हैतुक (Motive) साबित नहीं होता है, किन्तु यह भी अवलोकनीय है कि जहॉ परिस्थितिजन्य साक्ष्य से अभियोजन का मामला प्रमाणित होता है, वहॉ अभियोजन द्वारा अपराध हैतुक प्रकट नहीं करने के आधार पर अभियुक्त को संदेह का लाभ नहीं दिया जा सकता। तत्संबंध में **न्यायदृष्टांत रंगनाईकी विरूद्ध स्टेट ए.आई.आर. 2005 एस.सी. 418** अवलोकनीय है।

86. अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि विधि विरूद्ध जमाव का गठन एवं अपराध का सामान्य आशय गठित करना साबित नहीं है। इस संदर्भ में अवलोकनीय है कि उपरोक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता दर्शित होती है। यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्तगण 5 से अधिक की संख्या में है। फरियादीगण के कथनों व चिकित्सकीय साक्ष्य के आधार पर भीड़ द्वारा फरियादीगण व मृतक के साथ बल प्रयोग व हिंसा कारित किया जाना साबित है। उपरोक्त साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि मारपीट लाठी–डण्डों आदि से की गई, जिनकी जप्ती कार्यवाही भी की गई है। इन परिस्थितियों में यह भी अवलोकनीय है कि विधि विरूद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य का पृथक–पृथक कृत्य साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य रहने के आधार पर भी धारा 149 भा.दं.सं. आकृष्ट होती है। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य से यद्यपि प्रत्येक अभियुक्त का विशिष्ट कृत्य साबित नहीं होता है, किन्तु यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण लाठी–डण्डों आदि से सुसज्जित होकर 5 से अधिक संख्या में एकत्रित थे, जिनके द्वारा बल व हिंसा का प्रयोग किया गया। उपरोक्त परिस्थितियों से अभियुक्तगण द्वारा विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित करना, विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में लाठी डण्डों से मारपीट कर मृतक नजीर अहमद की हत्या कारित करना साबित है।

87. जहॉ तक अभियुक्तगण द्वारा विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में आहतगण शेख लाला एवं सैय्यद मुश्ताक की हत्या कारित करने के प्रयत्न का प्रश्न है तो यह अवलोकनीय है कि स्वयं फरियादीगण शेख लाला एवं सैय्यद मुश्ताक द्वारा अभियुक्तगण को पहचानने का समर्थन नहीं किया गया है, किन्तु उनके यह कथन अखण्डित है कि वे दोनों तथा मृतक नजीर अहमद एक साथ ही ट्रक में थे, जिन पर भीड़ द्वारा हमला किया गया। उनकी एम.एल.सी. रिपोर्ट के आधार पर उन्हें चोटे आना भी प्रमाणित है तथा डॉक्टर शेखर रघुवंशी अ0सा0–18 ने कथन किये हैं कि उन्होंने आहत शेख लाला की एक्सरे फिल्म, जो कि जिला चिकित्सालय होशंगाबाद

में एक्सरे के उपरांत दी गई थी, उक्त फिल्म एम0ओ0–30 लगायत एम0ओ0–32, आहत शेख लाला की सी.टी. स्कैन रिपोर्ट प्र0पी0–68 तथा आहत सैय्यद मुश्ताक की एक्सरे फिल्म एम0ओ0–33 लगायत एम0ओ0–36, जो कि जिला चिकित्सालय होशंगाबाद में एक्सरे उप. रांत दी गई थी, उनका अवलोकन करने पर कोई अस्थिभंग नहीं पाया था, तत्संबंध में एक्सरे रिपोर्ट प्र0पी0–66 एवं 67 पर अपने हस्ताक्षर भी प्रमाणित किये हैं।

88. डॉक्टर शेखर रघुवंशी अ0सा0–18 द्वारा ऐसा अभिमत नहीं दिया गया कि उक्त चोटे मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त थी, किन्तु यह भी अवलो. कनीय है कि धारा 307 भा.दं.सं. के अपराध में केवल चोटे एक मात्र निर्धारक बिन्दु नहीं है, बल्कि न्यायालय को अन्य समस्त परिस्थितियों को देखा जाना आवश्यक है।

89. माननीय सर्वोच्च न्यायालय का **न्यायदृष्टांत Hari Kishan and State of Haryana v. In Sukhbir Singh and others, AIR 1988 SUPREME COURT 2127** का में यह अभिमत दिया गया है कि–"Under S. 307, IPC what the Court has to see is, whether the act irrespective of its result, was done with the intention or knowledge and under circumstances mentioned in that section. The intention or knowledge of the accused must be such as is necessary (to) constitute murder. Without this ingredient being established, there can be no offence of "attempt to murder". Under S. 307 the intention precedes the act attributed to accused. Therefore, the intention is to be gathered from all circumstances, and not merely from the consequences that ensue. The nature of the weapon used, manner in which it is used, motive for the crime, severity of the blow, the part of the body where the injury is inflicted are some of the factors that may be taken into consideration to determine the intention."

90. माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायलय ने **न्यायदृष्टांत Adaliya Vs. State of M.P., 2009 (4) MPHT 189** में यह अभिमत दिया है कि– "It is well settled legal position that for constituting the offence under Section 307 of the IPC, only nature of injury is not a decisive factor but court has to see on the basis of surrounding circumstances, whether appellants were having requisite intention for

committing murder of the victim or there was every likelihood of death of victim because of the act of the accused person/persons and if victim would have died, accused person/ persons would have been held guilty for commission of offence of murder. For judging the intention of the accused person/ persons. the motive always plays a vital role.

91. अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि जप्तशुदा हथियारों की चिकित्सक से कोई क्वेरी नहीं कराई गई है, जिससे अभियोजन का प्रकरण साबित नहीं होता है। इस संदर्भ में अवलोकनीय है कि यद्यपि जप्तशुदा डण्डों की क्वेरी चिकित्सक से नहीं कराई गई है, किन्तु चिकित्सक शेखर रघुवंशी अ0सा0–18 ने स्पष्ट रूप से बताया है कि आहतगण को आई चोटे सख्त एवं बोथरी वस्तु से आना संभव थी, जिससे चिकित्सक से जप्तशुदा हथियारों की क्वेरी न कराया जाना अनियमितता है, जिससे सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण प्रभावित नहीं होता है।

92. अभिलेख पर उपलब्ध समस्त परिस्थितियों का अवलोकन करने से अभियुक्तगण की सहभागिता व मारपीट के कारण मृतक नजीर अहमद की मृत्यु होना साबित है। मृतक के साथ अन्य दोनों आहतगण शेख लाला एवं सैय्यद मुश्ताक भी उपस्थित थे। आहत शेख लाला को गले, छाती तथा आहत सैय्यद मुश्ताक को सिर, भुजा व अन्य मार्मिक भागों पर चोटे कारित होना साबित है। अतः अभियुक्तगण द्वारा प्रयुक्त हथियार एवं आहतगण की चोटों की प्रकृति, आहतगण के अन्य साथी नजीर अहमद की मृत्यु कारित करने के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्तगण का हत्या कारित करने का प्रयत्न इंगित किया जा सकता है।

93. अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार सेट्टी व राजा नामक व्यक्ति के निर्देशन पर मृतक एवं फरियादीगण ट्रक लेकर जा रहे थे, किन्तु सेट्टी, राजा, ट्रक के पंजीकृत स्वामी के कथन नहीं कराये गये, इस बिन्दु पर भी कोई विवेचना नहीं की गई कि ट्रक में जानवरों की प्रजाति क्या थी, उक्त जानवरों को कहॉ ले जाया गया व किसके सुपुर्द किया गया, जिससे निष्पक्ष अनुसंधान नहीं किया गया व अभियुक्तगण के विरूद्ध मामला साबित नहीं होता है। इस संदर्भ में अवलोकनीय है कि फरियादीगण द्वारा लिखाई गई देहाती सूचना एवं उनके मरणासन्न कथनों में लेख है कि ट्रक में जानवर गाय ढोर थे, जिन्हें लेकर वह महाराष्ट्र अमरावती लेकर जा रहे थे, किन्तु फरियादी शेख लाला एवं आहत सैय्यद मुश्ताक ने अपने न्यायलयीन कथनों में सब्जी का ट्रक लेकर जाना बताया है। प्रकरण में उक्त ट्रक के पंजीकृत

स्वामी के कथन नहीं लिये गये हैं, किन्तु विवेचक जितेन्द्रसिंह यादव अ0सा0–23 ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 35 में स्पष्ट किया है कि उन्होंने आईशर ट्रक क्रमांक एम.एच.40–सी.डी.–8751 की आर.टी.ओ. से जानकारी प्राप्त की थी, जिसके दस्तावेजों की प्रति संलग्न है।

94. यह अवलोकनीय है कि यदि उक्त ट्रक में जानवरों का परिवहन बिना किसी अनुज्ञप्ति के किया जा रहा था तो ट्रक के वाहन स्वामी व अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध पृथक से कार्यवाही करने का आधार था, किन्तु मात्र इस आधार पर कि उनके विरूद्ध पृथक से समुचित विधिक कार्यवाही नहीं की गई, यह निष्कर्षित नहीं किया जा सकता कि अभियुक्तगण घटना में लिप्त नहीं थे। यह भी अवलोकनीय है कि वर्तमान प्रकरण मारपीट, हत्या, हत्या के प्रयत्न से संबंधित है तथा उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर अभियुक्तगण की सहभागिता साबित है। वर्तमान प्रकरण के माध्यम से उक्त ट्रक के स्वामी व संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की कोई अनिवार्यता नहीं थी, बल्कि उनके विरूद्ध पृथक से कार्यवाही की जा सकती थी, जिससे अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक का तर्क पोषणीय नहीं है। अत : विचारणीय प्रश्न क्रमांक 04 लगायत 06 **''प्रमाणित''** है।

–:विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03 के संबंध में:–

95. अभियुक्तगण पर आहतगण एवं मृतक का रास्ता रोककर उन्हें सदोष अवरोध कारित करने का भी आरोप है, किन्तु स्वयं आहतगण शेख लाला एवं सैय्यद मुश्ताक ने ऐसे कोई कथन नहीं किये कि भीड़ के व्यक्तियों ने कोई वाहन अड़ाकर उनका रास्ता रोका हो। उनके मरणासन्न कथनों में भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि उनके ट्रक का रास्ता रोका गया हो। नायब तहसीलदार नीलेश पटैल अ0सा0–10 ने भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि आहतगण के मरणासन्न कथन प्र0पी0–17 एवं 20 में यह उल्लेखित नहीं है कि जिस ट्रक से सामान जा रहा था, उसके आगे कोई ट्रेक्टर, ट्राली या अन्य वाहन अड़ाकर रास्ता रोका गया हो, इस बिन्दु पर अन्य कोई साक्ष्य भी नहीं है। अत विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03 **''प्रमाणित नहीं''** है।

//अंतिम निष्कर्ष//

–:विचारणीय प्रश्न क्रमांक 07 के संबंध में:–

96. उपरोक्त साक्ष्य एवं विवेचना के आधार पर अभियोजन अभियुक्तगण राजू उर्फ राजेन्द्र कौशल, आकाश उर्फ पिंटोली बाथव, गौरव यादव, आकाश सराठे, चेतन मराठा, देवेन्द्र उर्फ छोटू कोरी एवं संदीप उर्फ राजा कौशल के विरूद्ध यह संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उन्होंने घटना

दिनांक 03/08/2022 को समय रात्रि 12:30 बजे नंदरवाड़ा रोड़ ग्राम बराखड़ थाना क्षेत्रान्तर्गत सिवनीमालवा में फरियादी शेख लाला व शेख मुश्ताक व उनके साथी नजीर अहमद, जो ट्रक क्रमांक एम.एच.40–सी.डी–8751 से जा रहे थे, उनका रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया, किन्तु उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि घटना दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने घातक आयुध लाठी–डण्डों से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया, विधि विरूद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में आहत नजीर अहमद की मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय, जिससे जानते थे कि मृत्यु कारित होना संभाव्य है, अथवा उक्त शारीरिक क्षति प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त थी, उसे लाठी–डण्डे से मारपीट कर हत्या कारित की तथा आहतगण शेख लाला, सैय्यद मुश्ताक के साथ लाठी–डण्डों से मारपीट कर हत्या कारित करने का प्रयत्न कारित किया। परिणामस्वरूप अभियुक्तगण को धारा 341 भा.द.सं. के अधीन दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त, किन्तु **धारा 148, 307/149 (दो शीर्ष), धारा 302/149 भा.दं.सं.** के अधीन दण्डनीय अपराध से **दोषसिद्ध** किया जाता है।

97. अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध परिवीक्षा के योग्य नहीं है। अतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिये निर्णय कुछ समय के लिये स्थगित किया जाता है।

सही/–
(श्रीमती तबस्सुम खान)
प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश नर्मदापुरम के
न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सिवनी मालवा
जिला–नर्मदापुरम म.प्र.

पश्चात्:–

98. दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण एवं अभियोजन को सुना गया। अभियुक्तगण की ओर से तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है, अतः उन्हें न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जावे। अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के कृत्य को देखते हुये कठोर दण्ड से दण्डित करने का नि.वेदन किया गया।

99. अभियुक्तगण पर दण्ड अधिरोपित किये जाने के पूर्व गुरूत्तरकारी परिस्थितियॉ एवं न्यूनकारी परिस्थितियों पर विचार किया जाना आवश्यक है। वर्तमान प्रकरण में निम्न परिस्थितियॉ विद्यमान हैः–

गुरूत्तरकारी परिस्थितियाँ:–

1. अभियुक्तगण द्वारा mob lynching कारित किया जाना साबित है।

2. अभियुक्तगण द्वारा विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर घातक आयुध से सुसज्जित होकर बलवा कारित किया गया।

3. अभियुक्तगण द्वारा अत्यन्त बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई, जिसके परिणामस्वरूप मृतक नजीर अहमद को अत्यधिक चोटे आई, जो पी.एम. रिपोर्ट में वर्णित है।

4. अभियुक्तगण के कृत्य के परिणामस्वरूप मृतक नजीर अहमद की मृत्यु हो गई एवं अन्य आहतगण को चोटे आई।

न्यूनकारी परिस्थितियाँ:–

1. अभियुक्तगण का कोई आपराधिक रिकार्ड पेश नहीं है।

2. उपजेल अधीक्षक द्वारा अभियुक्तगण के निरूद्ध रहने की अवधि के दौरान आचरण एवं व्यवहार में कोई असमान्यता नहीं बताई गई।

100. हत्या के लिये मृत्युदण्ड तक का उपबंध है किन्तु **न्यायदृष्टांत बचन सिंह विरूद्ध स्टेट ऑफ पंजाब ए0 आई0 आर0 1980 एस0सी0 898** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विरल से विरलतम मामले में ही मृत्युदण्ड दिया जाना चाहिए। **न्यायदृष्टांत संतोष कुमार सिंह विरूद्ध राज्य द्वारा सी.बी.आई. (2010) 9 एस.सी.सी. 747** में भी यह मत व्यक्त किया गया है कि जब न्यायालय को आजीवन कारावास और मृत्युदण्ड की सजा में विकल्प चुनना हो तो आजीवन कारावास के विकल्प को ही चुनना चाहिये, जब तक कि ऐसी अपवादित परिस्थितियाँ न हों कि मृत्युदण्ड दिया जाना अनिर्वाय हो जाये। इस संबंध में **न्यायदृष्टांत माछीसिंह विरूद्ध पंजाब राज्य (1983) 3 एस.सी.सी. 470** भी अनुसरणीय है। प्रकरण की उप. रोक्त गुरूत्तरकारी एवं न्यूनकारी समस्त परिस्थितियों पर विचार करने से यह प्रकट नहीं होता है कि अभियुक्तगण में सुधार की कोई भी संभावना न हो। अतः सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचार करते हुये अभियुक्तगण पर निम्नानुसार दण्ड अधिरोपित किया जाता है:–

अभियुक्त का नाम	धारा	कारावास	अर्थदंड	व्यतिक्रम की दशा में कारावास
राजू उर्फ राजेन्द्र कौशल	148 भा.दं.सं.	03 वर्ष सश्रम कारावास।	1000/– (एक हजार) रूपये।	01 (एक) माह का सश्रम कारावास।
	307/149 (दो शीर्ष)	10–10 वर्ष के सश्रम कारावास।	1000–1000/– (एक हजार–एक	06–06 (छ–छ) माह के सश्रम

	भा.दं.सं.		हजार) रूपये।	कारावास।
	302 / 149 भा.दं.सं.	आजीवन सश्रम कारावास।	2000 / — (दो हजार) रूपये।	01 (एक) वर्ष का सश्रम कारावास।
आकाश उर्फ पिन्टोली बाथव	148 भा.दं.सं.	03 वर्ष सश्रम कारावास।	1000 / — (एक हजार) रूपये।	01 (एक) माह का सश्रम कारावास।
	307 / 149 (दो शीर्ष) भा.दं.सं.	10—10 वर्ष के सश्रम कारावास।	1000—1000 / — (एक हजार—एक हजार) रूपये।	06—06 (छ—छ) माह के सश्रम कारावास।
	302 / 149 भा.दं.सं.	आजीवन सश्रम कारावास।	2000 / — (दो हजार) रूपये।	01 (एक) वर्ष का सश्रम कारावास।
गौरव यादव	148 भा.दं.सं.	03 वर्ष सश्रम कारावास।	1000 / — (एक हजार) रूपये।	01 (एक) माह का सश्रम कारावास।
	307 / 149 (दो शीर्ष) भा.दं.सं.	10—10 वर्ष के सश्रम कारावास।	1000—1000 / — (एक हजार—एक हजार) रूपये।	06—06 (छ—छ) माह के सश्रम कारावास।
	302 / 149 भा.दं.सं.	आजीवन सश्रम कारावास।	2000 / — (दो हजार) रूपये।	01 (एक) वर्ष का सश्रम कारावास।
आकाश सराठे	148 भा.दं.सं.	03 वर्ष सश्रम कारावास।	1000 / — (एक हजार) रूपये।	01 (एक) माह का सश्रम कारावास।
	307 / 149 (दो शीर्ष) भा.दं.सं.	10—10 वर्ष के सश्रम कारावास।	1000—1000 / — (एक हजार—एक हजार) रूपये।	06—06 (छ—छ) माह के सश्रम कारावास।
	302 / 149 भा.दं.सं.	आजीवन सश्रम कारावास।	2000 / — (दो हजार) रूपये।	01 (एक) वर्ष का सश्रम कारावास।
चेतन मराठा	148 भा.दं.सं.	03 वर्ष सश्रम कारावास।	1000 / — (एक हजार) रूपये।	01 (एक) माह का सश्रम कारावास।
	307 / 149 (दो शीर्ष) भा.दं.सं.	10—10 वर्ष के सश्रम कारावास।	1000—1000 / — (एक हजार—एक हजार) रूपये।	06—06 (छ—छ) माह के सश्रम कारावास।
	302 / 149 भा.दं.सं.	आजीवन सश्रम कारावास।	2000 / — (दो हजार) रूपये।	01 (एक) वर्ष का सश्रम कारावास।
देवेन्द्र उर्फ छोटू कोरी	148 भा.दं.सं.	03 वर्ष सश्रम कारावास।	1000 / — (एक हजार) रूपये।	01 (एक) माह का सश्रम कारावास।
	307 / 149	10—10 वर्ष के	1000—1000 / —	06—06 (छ—छ)

	(दो शीर्ष) भा.दं.सं.	सश्रम कारावास।	(एक हजार—एक हजार) रूपये।	माह के सश्रम कारावास।
	302 / 149 भा.दं.सं.	आजीवन सश्रम कारावास।	2000 / — (दो हजार) रूपये।	01 (एक) वर्ष का सश्रम कारावास।
संदीप उर्फ राजा कौशल	148 भा.दं.सं.	03 वर्ष सश्रम कारावास।	1000 / — (एक हजार) रूपये।	01 (एक) माह का सश्रम कारावास।
	307 / 149 (दो शीर्ष) भा.दं.सं.	10—10 वर्ष के सश्रम कारावास।	1000—1000 / — (एक हजार—एक हजार) रूपये।	06—06 (छ—छ) माह के सश्रम कारावास।
	302 / 149 भा.दं.सं.	आजीवन सश्रम कारावास।	2000 / — (दो हजार) रूपये।	01 (एक) वर्ष का सश्रम कारावास।

101. अभियुक्तगण को उपरोक्त सजाएँ साथ—साथ भुगताई जावे।

102. अभियुक्तगण द्वारा अर्थदण्ड राशि अदायगी पर उक्त राशि में से धारा 395(1) बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आहतगण शेख लाला एवं सैय्यद मुश्ताक को प्रतिकर राशि क्रमशः—15,000—15,000 / — रूपये अपील अवधि पश्चात् प्रदान की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

103. **न्यायदृष्टांत हरिकिशन विरूद्ध सिखवीर सिंह ए.आई.आर. 1998 एस.सी. 2127, न्यायदृष्टांत अंकुश शिवाजी गायकवाड़ विरूद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (2013) 6 एस.सी.सी. 770** में निर्धारित किया गया है कि न्यायालय का दायित्व है कि पीड़ित पक्ष को प्रतिकर दिलाये जाने हेतु विचार किया जावे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2 (1)(वाय) में पीड़ित को परिभाषित किया गया है, जिसमें उसके संरक्षक या विधिक उत्तराधिकारियों को भी सम्मलित किया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगण को इतने अर्थदण्ड से दण्डित नहीं किया गया, जिससे पीड़ित पक्ष को पर्याप्त प्रतिकर दिलाया जा सके। अभिलेख पर उपलब्ध नक्शा पंचायतनामा में मृतक के पिता का नाम मोहम्मद शकूर एवं मृतक के पुत्र का नाम शेख शहजाद, निवासी—आस्मीन नगर नागपुरी गेट जिला अमरावती महराष्ट्र उल्लेखित है, किन्तु वे साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि मृतक की पत्नी, पुत्र, पुत्री कुल कितने विधिक प्रतिनिधिगण है। मृतक की आयु 50 वर्ष होना लेख है। पीड़ित पक्ष को हुई पीड़ा एवं हानि को देखते हुये अर्थदण्ड राशि पर्याप्त नहीं है, उन्हें युक्तियुक्त प्रतिकर दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः समस्त परिस्थितियों के आलोक में पीड़ित पक्ष मृतक नजीर अहमद की पत्नी,

बच्चों तथा माता–पिता यदि जीवित हो तो उन्हें प्रतिकर राशि के भुगतान हेतु अनुशंसा की जाती है। इस संदर्भ में सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम को इस निर्णय की प्रति सहित युक्तियुक्त प्रतिकर प्रदान किये जाने की अनुशंसा सहित पत्र प्रेषित् किया जावे।

104. अभियुक्त राजू उर्फ राजेन्द्र कौशल दिनांक 03/08/2022 से दिनांक 22/11/2022 तक, अभियुक्त आकाश उर्फ पिन्टोली बाथव दिनांक 03/08/2022 से दिनांक 18/11/2022 तक, अभियुक्त गौरव यादव दिनांक 03/08/2022 से दिनांक 16/11/2022 तक, अभियुक्त आकाश सराठे दिनांक 03/08/2022 से दिनांक 29/09/2023 तक, अभियुक्त चेतन मराठा दिनांक 03/08/2022 से दिनांक 29/09/2023 तक, अभियुक्त देवन्द्र उर्फ छोटू कोरी दिनांक 03/08/2022 से दिनांक 29/09/2023 तक, अभियुक्त संदीप उर्फ राजा कौशल दिनांक 03/08/2022 से दिनांक 18/11/2022 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध रहे हैं। उक्त अवधि मूल कारावास में समायोजित की जावे। धारा 468 बी.एन.एस.एस. 2023 के अंतर्गत प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर निर्णय के साथ संलग्न किया जावे।

105. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति लाठी, डण्डे, मृतक के कपड़े, अभियुक्तगण के कपड़े, घटनास्थल से जप्त सादी घास, खून आलूदा घास, सादी मिट्टी, खून आलूदा मिट्टी, लकड़ी के डण्डे, चप्पले आदि निर्मूल्य होने से अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश अनुसार उक्त सम्पत्ति का व्ययन किया जावे।

106. बी0एन0एस0एस0 की धारा 406 के अंतर्गत निर्णय की एक सत्यप्रतिलिपि जिला मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम को ईमेल के माध्यम से भेजी जावे।

107. निर्णय की प्रति डिजिटल हस्ताक्षरित कर सीआईएस में अपलोड की जावे।

स्थानः–सिवनीमालवा निर्णय मेरे उद्‌बोधन पर टंकित किया।
दिनॉकः–12/06/2026

सही/–
(श्रीमती तबस्सुम खान)
प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश नर्मदापुरम के
न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सिवनी मालवा
जिला–नर्मदापुरम म.प्र.

अनुलग्नः—
अभियोजन साक्षियों की सूचीः—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ0सा0—01	शेख लाला	देहाती नाल्सी, देहाती मर्ग सूचना, शिनाख्तगी पंचनामा, मरणासन्न कथन, नक्शामौका एवं फरियादी साक्षी।
अ0सा0—02	सैय्यद मुश्ताक	आहत साक्षी।
अ0सा0—03	अवधेश तिवारी	चक्षुदर्शी साक्षी।
अ0सा0—04	अनिरूद्ध उर्फ गब्बू तिवारी	चक्षुदर्शी साक्षी।
अ0सा0—05	सुयश तिवारी	चक्षुदर्शी साक्षी।
अ0सा0—06	अजय तिवारी	चक्षुदर्शी साक्षी।
अ0सा0—07	आयूष मिश्रा	चक्षुदर्शी साक्षी।
अ0सा0—08	पंकज सराठे	अभियुक्तगण के मेमोरेण्डम कथन, गिरफ्तारीपत्रक एवं सम्पत्ति जप्तीपत्रक साक्षी।
अ0सा0—09	तहसीलदार ललित सोनी	अभियुक्तगण चेतन, देवेन्द्र उर्फ छोटू, गौरव यादव, आकाश उर्फ पिन्टोली, राजेश, संदीप उर्फ राजा, आकाश की शिनाख्तगी एवं शिनाख्तगी पंचनामा साक्षी।
अ0सा0—10	नायब तहसीलदार नीलेश पटेल	आहतगण लाला अस्सू अजमेरी एवं सैय्यद मुश्ताक के मरणासन्न कथन लेखकर्ता साक्षी।
अ0सा0—11	आरक्षक शैतानसिंह	मृतक नजीर अहमद के कपड़े से संबंधित सम्पत्ति जप्तीपत्रक।
अ0सा0—12	पटवारी देवेन्द्र खंडेरिया	पटवरी नजरीनक्शा एवं प्रतिवेदन साक्षी।

अ0सा0—13	कोटवार नरेन्द्र चंदेलवाल	पटवारी नजरीनक्शा, घटनास्थल से जप्त– खून आलूदा घास, सादी घास, खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी, तीन जोड़ कुल 6 चप्पल, खून लगा 2 फीट लकड़ी के दो टुकड़ों से संबंधित सम्पत्ति जप्तीपत्रक साक्षी।
अ0सा0—14	कोटवार सुरेन्द्र कुमार मोहे	पटवारी नजरीनक्शा, घटनास्थल से जप्त– खून आलूदा घास, सादी घास, खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी, तीन जोड़ कुल 6 चप्पल, खून लगा 2 फीट लकड़ी के दो टुकड़ों से संबंधित सम्पत्ति जप्तीपत्रक साक्षी।
अ0सा0—15	यज्ञेश तिवारी	नक्शामौका, न्यायालयीन कथन एवं चक्षुदर्शी साक्षी।
अ0सा0—16	आरक्षक अजय कुमार	मृतक नजीर अहमद के कपड़े से संबंधित सम्पत्ति जप्तीपत्रक एवं शव सुपुर्दगीनामा साक्षी।
अ0सा0—17	आरक्षक बंटी चौहान	फोटोग्राफ्स से संबंधित धारा 65–बी साक्ष्य अधिनियम प्रमाण पत्र साक्षी।
अ0सा0—18	डॉक्टर शेखर रघुवंशी	चिकित्सक साक्षी।
अ0सा0—19	निरीक्षक जितेन्द्रसिंह यादव	विवेचक साक्षी।
अ0सा0—20	उपनिरीक्षक नंदलाल झरवड़े	सफीना फार्म, नक्शा पंचायतनामा, शव परीक्षण आवेदन, कर्तव्य प्रमाण पत्र, मृतक नजरी अहमत के कपड़े से संबंधित सम्पत्ति जप्तीपत्रक साक्षी।
अ0सा0—21	विजय कुमार कुशवाहा	अभियुक्तगण के गिरफ्तारीपत्रक, मेमोरेण्डम कथन एवं सम्पत्ति जप्तीपत्रक साक्षी।

प्रतिरक्षा साक्षी की सूचीः—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
	निरंक	निरंक

न्यायालय साक्षी की सूचीः—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
	निरंक	निरंक

अभियोजन प्रदर्शों की सूचीः—

सं0क0	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्र0पी0—01 / अ0सा0—01, 19	देहाती सूचना।
2	प्र0पी0—02 / अ0सा0—01, 19	देहाती मर्ग सूचना।
3	प्र0पी0—03 लगायत 09 / अ0सा0—01, 09, 19	अभियुक्तगण चेतन मराठा, देवेन्द्र उर्फ छोटू, गौरव यादव, आकाश उर्फ पिन्टोली, राजेश उर्फ राजू कौशल, संदीप उर्फ राजा कौशल, आकाश सराठे के शिनाख्तगी मेमो।
4	प्र0पी0—10—सी लगायत 16—सी / अ0सा0—01	पूरक चालान से संबंधित एस.टी. प्रक. रण क्रमांक 4 / 2023 के सात अभियुक्तगण के शिनाख्तगी मेमो।
5	प्र0पी0—17 / अ0सा0—01, 10	आहत लाला अस्सू अजमेरी के मरणासन्न कथन।
6	प्र0पी0—18 / प्र0पी0—54 / अ0सा0—01, 15, 19	घटनास्थल का नक्शामौका। (एक ही दस्तावेज है)
7	प्र0पी0—19 / अ0सा0—01	आहत साक्षी शेख लाला अजमेरी के पुलिस कथन।

8	प्र0पी0—20 / अ0सा0—02, 10	आहत साक्षी सैय्यद मुश्तक के मरणासन्न कथन।
9	प्र0पी0—21 / अ0सा0—02	आहत साक्षी सैय्यद मुश्तक के पुलिस कथन।
10	प्र0पी0—22 / अ0सा0—03	साक्षी अवधेश तिवारी का पुलिस कथन।
11	प्र0पी0—23 / अ0सा0—04	साक्षी गब्बू उर्फ अनिरूद्ध तिवारी का पुलिस कथन।
12	प्र0पी0—24 / अ0सा0—05	साक्षी सुयश तिवारी का पुलिस कथन।
13	प्र0पी0—25 / अ0सा0—06	साक्षी अजय तिवारी का पुलिस कथन।
14	प्र0पी0—26 / अ0सा0—07	साक्षी आयूष उर्फ अवि मिश्रा का पुलिस कथन।
15	प्र0पी0—27 लगायत 33 / अ0सा0—08, 19, 21	अभियुक्तगण के गिरफ्तारीपत्रक।
16	प्र0पी0—34 लगायत 40 / अ0सा0—08, 19, 21	अभियुक्तगण के मेमोरेण्डम कथन।
17	प्र0पी0—41 / अ0सा0—08, 19, 21	अभियुक्त गौरव यादव से जप्त एक बांस का डण्डा एवं कपड़े पिस्ता कलर का लोवर एवं टीशर्ट से संबंधित सम्पत्ति जप्तीपत्रक।
18	प्र0पी0—42 / अ0सा0—08, 19, 21	अभियुक्त राजू उर्फ राजेन्द्र कौशल से जप्त एक बास का डण्डा एवं टीशर्ट से संबंधित सम्पत्ति जप्तीपत्रक।
19	प्र0पी0—43 / अ0सा0—08, 19, 21	अभियुक्त आकाश सराठे से जप्त एक बांस का डण्डा एवं काले रंग की टीशर्ट से संबंधित सम्पत्ति जप्तीपत्रक।
20	प्र0पी0—44 / अ0सा0—08, 19, 21	अभियुक्त आकाश उर्फ पिन्टोली बा. थव से जप्त एक बांस का डण्डा एवं ग्रे कलर की लोवर से संबंधित

		सम्पत्ति जप्तीपत्रक।
21	प्र0पी0—45 / अ0सा0—08, 19, 21	अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ छोटू कौशल से जप्त एक बांस का डण्डा एवं शर्ट—लोवर से संबंधित सम्पत्ति जप्तीपत्रक।
22	प्र0पी0—46 / अ0सा0—08, 21	अभियुक्त चेतन मराठा से जप्त एक बांस का डण्डे से संबंधित सम्पत्ति जप्तीपत्रक।
23	प्र0पी0—47 / अ0सा0—08, 19, 21	अभियुक्त संदीप उर्फ राजा कौशल से जप्त एक बांस का डण्डे से संबंधित सम्पत्ति जप्तीपत्रक।
24	प्र0पी0—48 / अ0सा0—09	शिनाख्तगी प्रतिवेदन।
25	प्र0पी0—49 / अ0सा0—10	थाना कोतवाली नर्मदापुरम द्वारा मरणासन्न कथन लेने बावत् तहसीलदार नर्मदापुरम को प्राप्त सूचना।
26	प्र0पी0—50 / अ0सा0—11, 16, 20	मृतक नजीर अहमद के कपड़े से संबंधित सम्पत्ति जप्तीपत्रक।
27	प्र0पी0—51 / अ0सा0—12, 13, 14	पटवारी नजरीनक्शा।
28	प्र0पी0—52 / अ0सा0—12	पटवारी प्रतिवेदन।
29	प्र0पी0—53 / अ0सा0—13, 19	घटनास्थल से जप्त— खून आलूदा घास, सादी घास, खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी, तीन जोड़ कुल 6 चप्पल, खून लगा 2 फीट लकड़ी के दो टुकड़ों से संबंधित सम्पत्ति जप्तीपत्रक।
30	प्र0पी0—55 / अ0सा0—15	साक्षी यज्ञेश तिवारी का पुलिस कथन।
31	प्र0पी0—56 / अ0सा0—15, 19	साक्षी यज्ञेश तिवारी का धारा 164 द.प्र.सं. के न्यायालयीन कथन।
32	प्र0पी0—57 / अ0सा0—16	शव सुपुर्दगीनामा।

33	प्र0पी0—58 / प्र0पी0—85 / अ0सा0—16, 20	कर्तव्य प्रमाण पत्र। (एक ही दस्तावेज है)
34	प्र0पी0—59 / अ0सा0—17	धारा 65—बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र।
35	प्र0पी0—60 / अ0सा0—18, 19	सी.एच.सी सिवनीमालवा द्वारा लड़ाई—झगड़े के संबंध में थाना सिवनीमालवा को प्रेषित् सूचना।
36	प्र0पी0—61 / अ0सा0—18	आहत शेख लाला की प्री.एम.एल.सी. रिपोर्ट।
37	प्र0पी0—62 / अ0सा0—18	साक्षी सैय्यद मुश्ताक की प्री.एम.एल.सी. रिपोर्ट।
38	प्र0पी0—63 / अ0सा0—18	मृतक नजीर अहमद की प्री.एम.एल.सी. रिपोर्ट।
39	प्र0पी0—64 / अ0सा0—18, 19	सी.एच.सी. सिवनीमालवा द्वारा थाना सिवनीमालवा को ईलाज के दौरान नजीर अहमद की मृत्यु हो जाने की सूचना
40	प्र0पी0—65 / अ0सा0—18	मृतक नजीर हमद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
41	प्र0पी0—66 / अ0सा0—18	आहत शेख लाला की एक्सरे रिपोर्ट।
42	प्र0पी0—67 / अ0सा0—18	आहत सैय्यद मुश्ताक की एक्सरे रिपोट।
43	प्र0पी0—68 / अ0सा0—18	आहत शेख लाला की ब्रेन की सी.टी. स्कैन रिपोर्ट की सत्यप्रति।
44	प्र0पी0—69 / अ0सा0—19	आप्राकृतिक मृत्यु का पंजीकरण।
45	प्र0पी0—70 / अ0सा0—19	प्रथम सूचना रिपोर्ट।
46	प्र0पी0—71 लगायत 77 / अ0सा0—19	अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की सूचना।
47	प्र0पी0—78 / अ0सा0—19	थाना सिवनीमालवा द्वारा अभियुक्तगण की शिनाख्तगी की अनुमति बावत् न्यायालय को प्रेषित् पत्र।

48	प्र0पी0—79 / अ0सा0—19	एफ.एस.एल. ड्राफ्ट
49	प्र0पी0—80 / अ0सा0—19	एफ.एस.एल. पावती।
50	प्र0पी0—81 / अ0सा0—19	एफ.एस.एल. रिपोर्ट।
51	प्र0पी0—82 / अ0सा0—19	रोजनामचा सान्हा दिनांक 03 / 08 / 2022
52	प्र0पी0—83 / अ0सा0—20	सफीना फार्म।
53	प्र0पी0—84 / अ0सा0—20	नक्शा पंचायतनामा।

प्रतिरक्षा दस्तावेज की सूची :—

सं0क्र0	प्रदर्श संख्या	विवरण
	निरंक	निरंक।

न्यायालयीन दस्तावेजों की सूचीः—

स.क.	सामग्री संख्या	विवरण
	निरंक	निरंक

आवश्यक वस्तुओं की सूचीः—

सं0क्र0	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1	एम0ओ0—01 लगायत 29 / अ0सा0—17, 19	घटनास्थल के फोटोग्राफ्स।
2	एम0ओ0—30 लगायत 32 / अ0सा0—18	आहत शेख लाला की एक्सरे फिल्म।
3	एम0ओ0—33 लगायत 36 / अ0सा0—18	आहत सैय्यद मुश्ताक की एक्सरे फिल्म।
4	एम0ओ0—30—ए लगायत 36—ए / अ0सा0—19	लकड़ी के डण्डे।
5	एम0ओ0—37 व 38 / अ0सा0—19	लकड़ी के टुकड़े।
6	एम0ओ0—39 / अ0सा0—19	खून आलूदा सादी घास।

7	एम0ओ0—40 / अ0सा0—19	सादी घास।
8	एम0ओ0—41 / अ0सा0—19	खून आलूदा मिट्टी।
9	एम0ओ0—42 / अ0सा0—19	सादी मिट्टी।
10	एम0ओ0—43 / अ0सा0—19	मृतक नजीर अहमद के कपड़े।
11	एम0ओ0—44 / अ0सा0—19	अभियुक्त गौरव के लोवर टीशर्ट।
12	एम0ओ0—45 / अ0सा0—19	अभियुक्त राजू के लोवर टीशर्ट।
13	एम0ओ0—46 / अ0सा0—19	अभियुक्त आकाश सराठे की टीशर्ट।
14	एम0ओ0—47 / अ0सा0—19	अभियुक्त आकाश उर्फ पिन्टोली बाथव के कपड़े।
15	एम0ओ0—48 / अ0सा0—19	अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ छोटू के कपड़े।
16	एम0ओ0—49 / अ0सा0—19	तीन जोड़ी चप्पल।
17	एम0ओ0—50 व 51 / अ0सा0—20	मृतक नजरी अहमद की अस्पताल की फोटो।

सही / —
(श्रीमती तबस्सुम खान)
प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश नर्मदापुरम के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सिवनी मालवा जिला—नर्मदापुरम म.प्र.

TABASSUM KHAN

Digitally signed by TABASSUM KHAN
Date: 2026.06.12 17:14:39 +0530